रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33001/99

REGD. NO. D. L.-33001/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

साप्ताहिक
WEEKLY

सं. 30] नई दिल्ली, 20—26 जुलाई , 2003, शनिवार/29 आषाढ़—4 श्रावण 1925 शक्
No. 30] NEW DELHI, 20—26 JULY, 2003 SATURDAY/29 ASADHA—4 SRAVANA, 1925 SHAKA

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय अधिकारियों (संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा विधि के अंतर्गत बनाए और जारी किए गए साधारण सांविधिक नियम (जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उप-नियम आदि सम्मिलित हैं)
General Statutory Rules (Including Orders, Bye-laws etc. of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)

प्रधान मंत्री कार्यालय

नई दिल्ली, 18 जुलाई, 2003

सा.का.नि. 264.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और प्रधान मंत्री कार्यालय, लेखाकार भर्ती नियम, 1991 को उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, प्रधान मंत्री कार्यालय में लेखाकार के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.**—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम प्रधान मंत्री कार्यालय, लेखाकार (समूह "ख") भर्ती नियम, 2003 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **पद संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान.**— उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और उसका वेतनमान वह होगा, जो इससे उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ (2) से स्तम्भ (4) में विनिर्दिष्ट है।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि.**—उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे सम्बन्धित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तम्भ (5) से स्तम्भ (14) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. **निरर्हता.**—वह व्यक्ति,—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह, ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. **शिथिल करने की शक्ति.**—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी ।

6. **व्यावृत्ति.**—इन नियमों की कोई बात ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

1.	पद का नाम	: लेखाकार
2.	पदों की संख्या	: 1* (2003) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।
3.	वर्गीकरण	: साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह ''ख'', अराजपत्रित, अननुसचिवीय
4.	वेतनमान	: 5500-175-9000 रु.
5.	चयन अथवा अचयन पद	: लागू नहीं होता
6.	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा	: लागू नहीं होता
7.	सेवा में जोड़े गए वर्षों का फायदा केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 30 के अधीन अनुज्ञेय है या नहीं	: लागू नहीं होता
8.	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	: लागू नहीं होता
9.	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं, प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	: लागू नहीं होता
10.	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	: प्रतिनियुक्ति
11.	भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पदों की प्रतिशतता	: प्रतिनियुक्ति
12.	प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा	: **प्रतिनियुक्ति :** अ. (क)(i) केन्द्रीय सचिवालय सेवा के ऐसे सहायक जो नियमित आधार पर पद धारण किए हुए हैं, या (ii) केन्द्रीय सचिवालय लिपिक सेवा के ऐसे उच्च श्रेणी लिपिक जिन्होंने उस श्रेणी में आठ वर्ष नियमित सेवा की है; और (ख) जिन्होंने सचिवालय प्रशिक्षण और प्रबन्धन संस्थान में रोकड़ और लेखा कार्य में प्रशिक्षण या समतुल्य प्राप्त किया है और जिनके पास रोकड़, लेखा और बजट कार्य करने का तीन वर्ष का अनुभव है, जिसके न हो सकने पर,

आ. केन्द्रीय सरकार के अधीन ऐसे अधिकारी :—

(i) मूलकाडर/विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं; या

(ii) जिन्होंने मूलकाडर/विभाग में 5000-150-8000 रु. के या समतुल्य वेतनमान में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में तीन वर्ष सेवा की है, या

(iii) जिन्होंने मूलकाडर/विभाग में 4500-7000 रु. के या समतुल्य वेतनमान में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में छह वर्ष सेवा की है; और

(ख) जिन्होंने सचिवालय प्रशिक्षण तथा प्रबन्ध संस्थान में रोकड़ और लेखा कार्य में प्रशिक्षण या समतुल्य प्राप्त किया है और जिनके पास रोकड़ लेखा और बजट संबंधी कार्य करने का तीन वर्ष का अनुभव है, या जो केन्द्रीय सरकार के किसी संगठित लेखा विभाग द्वारा संचालित अधीनस्थ लेखा सेवा या समतुल्य परीक्षा उत्तीर्ण हैं।

(प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।)

13. यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना : लागू नहीं होता

14. भर्ती करते समय किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा : लागू नहीं होता।

[फा. सं. ए-12018/1/2002-पी.एम.ए.]

पी. के. राय, अवर सचिव

PRIME MINISTER'S OFFICE

New Delhi, the 18th July, 2003

G.S.R. 264.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, and in supersession of the Prime Minister's Office, Accountant Recruitment Rules, 1991, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Accountant in the Prime Minister's Office, namely :—

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Prime Minister's Office, Accountant (Group 'B') Recruitment Rules, 2003

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of post, classification, and scale of pay.—The number of the said post, its classification and the scale of pay attached thereto shall be as specified in columns 2 to 4 of the Schedule annexed to there rules.

3. Method of recruitment, age limit, qualifications, etc.—The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns 5 to 14 of the said Schedule.

4. Disqualification.—No person,—

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said posts :

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax.—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing, and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving.—Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

1. Name of post	:	Acountant
2. Number of post	:	1* (2003) *Subject to variation dependent on workload.
3. Classification	:	General Central Service Group 'B' Non-Gazetted, Non-Ministerial.
4. Scale of pay	:	Rs. 5500-175-9000/-
5. Whether Selection or non-selection post	:	Not applicable
6. Age limit for direct recruits	:	Not applicable
7. Whether benefit of added years of service admissible under Rule 30 of Central Civil Services (Pension) Rules, 1972	:	Not applicable
8. Educational and other qualifications required for direct recruits	:	Not applicable
9. Whether age and Educational Qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	:	Not applicable
10. Period of probation, if any	:	Not applicable
11. Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the posts to be filled by various methods	:	Deputation
12. In case of recruitment by promotion/ deputation/absorption grades from which promotion/deputation/absorption to be made	:	**Deputation :** A. (a) (i) Assistants of Central Secretarial service holding the post on regular basis; or (ii) Upper Division Clerks of Central Secretariat Clerical Service with eight years' regular service in the grade; and, (b) who have undergone training in cash and accounts work in the Institute of Secretariat Training and Management or equivalent and possess three years' experience of cash, accounts and budget work; failing which, B. Officer under the Central Government : (a) (i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre/department; or

		(ii) with three years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in the scale of pay of Rs. 5000-150-8000 or equivalent in the parent cadre/department; or (iii) with six years service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in the scale of pay of Rs. 4500-125-7000 or equivalent in the parent cadre/department; and (b) who have undergone training in cash and accounts work in the Institute of Secretariat Training and Management or equivalent and possesses three years' experience of cash, accounts and budget work; or, a pass in the Subordinate Accounts Service or equivalent examination conducted by any or the organised Accounts Department of the Central Government. (Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceeding this appointment in the same or some other organisation/Department of the central Government shall ordinarily not to exceed three years. The maximum age limit for appointment by transfer deputation shall be not exceeding 56 years as on the closing date of receipt of applications.)
13. If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	:	Not applicable
14. Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.	:	Not applicable.

[F. No. A-12018/1/2002-PMA]

P. K. ROY, Under Secy.

कार्मिक, लोक-शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

(प्रशिक्षण प्रभाग)

नई दिल्ली, 14 जुलाई, 2003

सा. का. नि. 265.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी, बिजली मिस्त्री भर्ती नियम, 2001 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी, बिजली मिस्त्री भर्ती नियम, 2003 है।

(2) ये नियम राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी, बिजली मिस्त्री भर्ती नियम, 2001 की अनुसूची में, स्तंभ 11 के अधीन "क्षेत्रीय रोजगार कार्यालय के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा 100% " अंकों चिह्न और शब्दों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

"सीधी भर्ती द्वारा"

[फा. सं.-13012/1/2000-अकादमी डैस्क]

जगमोहन गुप्ता, निदेशक

पाद टिप्पण : मूल नियम भारत के राजपत्र 2001, भाग II, खंड 3 उपखंड (i) में सा.का.नि. सं. 615, तारीख 12-11-2001 द्वारा प्रकाशित किए गए।

MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS

(Department of Personnel and Training)

(TRAINING DIVISION)

New Delhi, the 14th July, 2003

G.S.R. 265.— In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the Lal Bahadur Shastri National Academy of Administration Electrician Recruitment Rules 2001, namely :—

1. (1) These rules may be called the Lal Bahadur Shastri National Academy of Administration Electrician Recruitment Rules° 2003.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Schedule to the Lal Bahadur Shastri National Academy of Administration Electrician Recruitment Rules, 2001, under column 11, for the figures, sign and words "100% by direct recruitment through the regional Employment Exchange", the following shall be substituted, namely:—

"By direct recruitment".

[No. 13012/1/2000-Academy Desk]

JAGMOHAN GUPTA, Director

Foot note : Principal Rules published in the Gazette of India 2001, Part-II, Section-3, Sub-section(i), bearing GSR No. 615, dated 12-11-2001.

नई दिल्ली, 20 मार्च, 2003

सा. का. नि. 266.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी विधि के प्रोफेसर भर्ती नियमावली, 1986 के अधिक्रमण में, उन बातों के सिवाय जिन्हें इस अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, राष्ट्रपति एतद्द्वारा कार्मिक, लोक-शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी मसूरी में विधि के प्रोफेसर के पद की भर्ती की पद्धति को विनियमित करते हुए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.**—(1) इन नियमों का नाम कार्मिक, लोक-शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी विधि के प्रोफेसर, समूह "क" भर्ती नियमावली, 2003 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **पदों की संख्या, वर्गीकरण तथा वेतनमान.**—उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण तथा वेतनमान इन नियमों के साथ संलग्न उक्त अनुसूची के कालम (2) से (4) तक में निर्दिष्ट किए के अनुसार होंगे।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, तथा अन्य अर्हताएं.**—भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, तथा अन्य अर्हताएं और उक्त पदों से संबंधित अन्य बातें उक्त अनुसूची में कालम (5) से (14) तक में निर्दिष्ट किए के अनुसार होंगी।

4. **निरर्हताएं.**—वह व्यक्ति,—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित होते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है उक्त सेवा में नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार संतुष्ट है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार है तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. **नियम शिथिल करने की शक्ति :** जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय हो कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह, उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों से किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. **व्यावृत्ति.**—इन नियमों में किया गया कोई भी प्रावधान ऐसे आरक्षणों, आयु सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगा जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों तथा अन्य विशेष प्रवर्गों के व्यक्तियों के लिए उपबन्ध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

1. पद का नाम	:	विधि के प्रोफेसर
2. पदों की संख्या	:	02* (2003) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।
3. वर्गीकरण	:	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह "क", राजपत्रित,
4. वेतनमान	:	रु. 16400-450-20900-500-22400 रुपए

5. चयन पद या गैर-चयन पद : लागू नहीं होता

6. केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियमावली, 1972 के नियम 30 के अधीन सेवा में जोड़े गए वर्षों का लाभ अनुज्ञेय है या नहीं : हां

7. सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा : 50 वर्ष से अधिक नहीं
(केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों को पांच वर्ष तक की छूट दी जा सकती है)।

टिप्पणी :

आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तारीख होगी। (न कि वह अंतिम तारीख जो विहित की गई है)। असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा जिले के पांगी उपखंड, अंडमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है)।

8. सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक तथा अन्य अर्हताएं : **अनिवार्य :**

1. (i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से विधि में मास्टर डिग्री अथवा इसके समकक्ष,

(ii) प्रशिक्षण प्रदान अथवा अध्यापन अथवा विधिक कार्यों में अनुसंधान अथवा प्रशासन अथवा न्यायिक सेवा में दस वर्ष का अनुभव अथवा बार में अधिवक्ता के रूप में दस वर्ष का व्यावहारिक अनुभव जिसमें तीन वर्ष किसी उच्च न्यायालय में वरिष्ठ अधिवक्ता के रूप में होने चाहिए।

अथवा

2 (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय की विधि में डिग्री अथवा इसके समकक्ष;

(ii) किसी राज्य न्यायिक सेवा में बारह वर्ष का अनुभव जिसमें पांच वर्ष अपर जिला न्यायाधीश और सेशन न्यायाधीश अथवा उससे ऊपर के स्तर पर होने चाहिए।

अथवा

बार में बारह वर्ष का व्यावहारिक अनुभव जिसमें पांच वर्ष किसी उच्च न्यायालय में वरिष्ठ अधिवक्ता के रूप में होने चाहिए।

अथवा

प्रशिक्षण प्रदान करने अथवा अध्यापन अथवा विधिक कार्यों में अनुसंधान अथवा प्रशासन में बारह वर्ष का अनुभव ।

टिप्पणी 1 :—अन्यथा सुयोग्य सुअर्हित अर्हता प्राप्त उम्मीदवारों के मामले में संघ लोक सेवा आयोग के विवेक पर अर्हताओं में छूट दी जा सकती है।

टिप्पणी 2 :—अनुसूचित जातियों अथवा अनुसूचित जन जातियों के उम्मीद्वारों के मामले में संघ लोक सेवा आयोग के विवेक पर अनुभव संबंधी अर्हता(ओं) में छूट दी जा सकती है, यदि चयन के किसी अवस्था पर संघ लोक सेवा आयोग

का यह मत हो कि उनके लिए आरक्षित पदों को भरने हेतु इन समुदायों से अपेक्षित अनुभव रखने वाले व्यक्तियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की सम्भावना नहीं है।

वांछनीय :

(i) जिला एवं सेंशन न्यायाधीश के रूप में अनुभव; अथवा

(ii) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से विधि में डाक्टर की उपाधि अथवा इसके समकक्ष।

9. सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु तथा शैक्षिक अर्हताएं, पदोन्नत व्यक्तियों के संबंध में लागू होंगी या नहीं : लागू नहीं होता

10. परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो : सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए एक वर्ष।

11. भर्ती की पद्धति : सीधी भर्ती होगी या पदोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/स्थानांतरण द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पदों की प्रतिशतता। : **प्रतिनियुक्ति**
(अल्पकालिक संविदा सहित)/आमेलन जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा।

12. पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानांतरण द्वारा भर्ती के मामले में वह ग्रेड जिससे पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानांतरण किया जाना है : **प्रतिनियुक्तिः**
(अल्पकालिक संविदा सहित)/आमेलन केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्रों या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों या विश्वविद्यालयों या मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थाओं या स्वायत या अर्ध-सरकारी या सांविधिक संगठनों के अधिकारी जो :—

क. (i) समकक्ष पद धारण किए हुए हों;

अथवा

(ii) जिनकी रु. 14300-18300 अथवा इसके समकक्ष वेतनमान वाले पदों में दो वर्ष की नियमित सेवा हो; अथवा

(iii) जिनकी रु. 12000-18300 अथवा इसके समकक्ष वेतनमान वाले पदों में छः वर्ष की नियमित सेवा हो; अथवा

(iv) जिनकी रु. 10000-15200 अथवा इसके समकक्ष वेतनमान वाले पदों में ग्यारह वर्ष की नियमित सेवा हो तथा

ख. जिनके पास कालम 8 के अधीन सीधी भर्ती किए जाने वाले अभ्यर्थियों के लिए निर्धारित शैक्षिक अर्हताएं तथा अनुभव हैं।

टिप्पण : विलयन पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने हेतु केवल केन्द्रीय सरकार/राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों के अधिकारी पात्र हैं।

(प्रतिनियुक्ति/संविदा की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले किसी अन्य काडर बाह्य पद प्रतिनियुक्ति अथवा संविदा की अवधि है, सामान्यतया 4 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति (जिसमें अल्पकालिक संविदा भी है) या आमेलन के लिए अधिकतम आयु सीमा, आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।)

13. यदि कोई विभागीय पदोन्नति समिति विद्यमान है; तो उसकी संरचना	:	स्थायीकरण पर विचार करने के लिए समूह 'क' विभागीय पदोन्नति समिति की संरचना जिसमें निम्नलिखित सम्मिलित होंगे :— 1. निदेशक, लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी —अध्यक्ष 2. संयुक्त निदेशक, लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी —सदस्य
14. भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा	:	प्रत्येक अवसर पर संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है।

[सं.-13012/2/2001-अकादमी डैस्क]

मनीषा भटनागर, डैस्क अधिकारी

New Delhi, the 20th March, 2003

G.S.R. 266.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, and in supersession of the Lal Bahadur Shastri National Academy of Administration, Professor of Law Recruitment Rules, [illegible]6, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Professor of Law in the Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions, Department of Personnel and Training, the Lal Bahadur Shastri National Academy of Administration, Mussoorie, namely :—

1. Short title and commencement.—(i) These rules may be called, the Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions, Department of Personnel and Training, the Lal Bahadur Shastri National Academy of Administration, Professor of Law Group 'A' Post Recruitment Rules, 2003.

(ii) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of posts, classification and scale of pay.—The number of posts, its classification and the scale of pay attached thereto shall be as specified in columns 2 to 4 of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age limit and other qualifications.—The method of recruitment age limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns 5 to 14 of the said Schedule.

4. Disqualification.—No person,—

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said posts :

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax.—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving.—Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit, and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

1. Name of post	:	Professor of Law
2. Number of post	:	2* (2003) *Subject to variation dependent on workload.
3. Classification	:	General Central Service Group 'A' Gazetted.
4. Scale of pay	:	Rs.16400-450-20900-500-22400

5.	Whether Selection or non-selection post	: Not applicable
6.	Whether benefits of added years of service admissible under rule 30 of the Central Civil Services (Pension) Rules, 1972	: Yes
7.	Age limit for direct recruits	: Not exceeding 50 years (Relaxable for Government servants upto five years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government.) **Note :** The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Predesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or the Union territory of Lakshadweep).
8.	Educational and other qualifications required for direct recruits	: **Essential :** 1. (i) Master's Degree in Law (LLM) from a recognised University or equivalent (ii) Ten years' experience in imparting training or teaching or research in legal affairs or in administration or in Judicial Service or ten years' practical experience at Bar as an Advocate of which three years should be in a High Court as a Senior Advocate. Or 2. (i) Degree in Law (L.L.B.) from a recognised University or equivalent; (ii) twelve years' experience in a state judicial service out of which five years should be at the level of Additional District Judge and session judge or above: Or twelve years' practical experience at the Bar of which five years should be in a High Court as a Senior Advocate. Or twelve years' experience in imparting training or teaching or research in legal affairs or in administration. **Note 1 :** Qualification are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission in case of candidates otherwise well qualified. **Note 2 :** The qualification(s) regarding experience is/are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission in the case of candidates belonging to Scheduled Castes or Scheduled Tribes, if at any stage of selection the Union Public Service Commission is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the posts reserved for them. **Desirable:** (i) Experience as District and sessions judge; or

		(ii) Doctorate Degree in Law from a recognised University or equivalent.
9. Whether age and Educational Qualification prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	:	Not applicable
10. Period of probation, if any	:	One year for direct recruits
11. Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/transfer and percentage of the vacancies to be filled by various methods.	:	Deputation (including short term contract/absorption failing which by direct recuitment
12. In case of recruitment by promotion/ deputation/transfer grades from which promotion/deputation/transfer to be made.	:	**Deputation (including short-term contract)/absorption** Officers of the Central Government or State Govemments or Union territories or Public Sector Undertakings or Universities or Recognised Research Institutions or Autonomous or Semi-Government/Statutory oganisations :— (a) (i) holding analogous post on regular basis; or (ii) with two years' regular service in post in the scale of Rs. 14300-18300 or equivalent; or (iii) with six years' regular service in post in the scale of Rs. 12000-18300 or equivalent; or (iv) with eleven years' regular service in post in the scale of Rs. 10000-15200 or equivalen; And (b) possessing the educational qualifications and experience prescribed for direct recruits under column 8. **Note :** Only officers belonging to Central Government/State Governments/Union territories are eligible for being considered for appointment on absorption. (Period of deputation/contract including period [illegible] contract in another ex-cadre post held immedia[illegible] appointment in the same or some other organisa[illegible] the Central Government shall ordinarily not exc[illegible] maximum age limit for appointment by deputation [illegible] term contract) or absorption shall be not exceeding [illegible] the closing date of the receipt of applications)
13. If a Departmental Promotion Committee exists what is its composition.	:	Composition of Group 'A' Departmental Promotion Committee (for considering confirmation) consisting of :— 1. Director, Lal Bahadur Shastri National Academy of (Administration —Chairman 2. Joint Director, Lal Bahadur Shastri National Academy of Administration —Member
14. Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.	:	Consultation with Union Public Service Commission is not nece[illegible]

[F. No. 13012/2/2001-Acad[illegible]]

MANISHA BHATNAGAR, Des[illegible]

वित्त मंत्रालय

(आर्थिक कार्य विभाग)

(बैंकिंग प्रभाग)

नई दिल्ली, 17 जुलाई, 2003

सा.का.नि. 267.—केन्द्रीय सरकार, राज्य वित्तीय निगम अधिनियम, 1951 (1951 का 83) की धारा 5 की उपधारा (5) और धारा 48ख द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित नियम बनाती हैं, अर्थात् :—

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ :**—(1)इन नियमों का संक्षिप्त नाम राज्य वित्तीय निगम (केन्द्रीय सरकार को अपील) नियम, 2003 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **परिभाषाएं :**—इन नियमों में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो—

(क) "अधिनियम" से राज्य वित्तीय निगम अधिनियम, 1951 (1951 का 63) अभिप्रेत है;

(ख) "अपीलार्थी" से अधिनियम की धारा 5 की उप-धारा (4) के अधीन किए गए बोर्ड के इंकार के आदेश के विरुद्ध व्यथित और अधिनियम की धारा 5(5) के निबंधनों के अनुसार अपील करने वाला कोई व्यक्ति अभिप्रेत है;

(ग) "प्राधिकृत प्रतिनिधि" से अपीलार्थी या बोर्ड या अपील के कोई अन्य पक्षकार द्वारा, केन्द्रीय सरकार के समक्ष क्रमश: उनकी ओर से यथास्थिति उपसंजात होने,

अभिवाक् करने और कार्य करने, या अपील या जवाब या कोई सूचना या दस्तावेज फाइल करने के लिए सम्यक् रूप से प्राधिकृत व्यक्ति अभिप्रेत है;

(घ) "प्ररूप" से इससे संलग्न प्ररूप अभिप्रेत है;

(ङ) "पक्षकार" से अपीलार्थी, या अपील का कोई अन्य विरोधी पक्षकार जिसके अंतर्गत बोर्ड, या कोई अन्य व्यक्ति जो अपील में अन्यथा विरोधी पक्षकार है अभिप्रेत है, और जिसके अंतर्गत क्रमश: उनका प्राधिकृत प्रतिनिधि भी है;

(च) इन नियमों में प्रयुक्त सभी अन्य पदों के, जो परिभाषित नहीं है, किन्तु अधिनियम में परिभाषित हैं वही अर्थ होंगे जो उनके क्रमश: अधिनियम में हैं।

3. **अपील फाइल करने के लिए प्रक्रिया.**—(1) अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (5)के अधीन प्रत्येक अपील अपीलार्थी या उसके प्राधिकृत प्रतिनिधि द्वारा केन्द्रीय सरकार को जहां तक संभव हो प्ररूप में की जाएगी।

(2) उपनियम (1) के अधीन अपील केन्द्रीय सरकार को उस तारीख को की गई समझी जाएगी जिसको वह आर्थिक कार्य की बाबत विभाग में भारत सरकार के सचिव के कार्यालय नई दिल्ली में प्राप्त होती है।

4. **समय जिसके भीतर अपील की जानी है :**—अपील अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (4) के अधीन किए गए बोर्ड के इंकार के आदेश की प्राप्ति की तारीख से तीस दिन की अवधि के भीतर अपीलार्थी द्वारा की जाएगी;

परंतु यह है कि केन्द्रीय सरकार तीस दिन की उक्त अवधि की समाप्ति के पश्चात् अपील पर ग्रहण कर सकेगी यदि अभिलेख पर उपलब्ध विश्वासप्रद ऐसी सामग्री के आधार पर उसका यह समाधान हो जाता है कि उस अवधि के भीतर अपील न करने के लिए पर्याप्त कारण था।

5. **फीस का संदाय.**—(1) अपील के प्रत्येक ज्ञापन के साथ 500 रुपए की फीस होगी।

(2) फीस की रकम भुगतान और लेखा अधिकारी (बैंकिंग) के पक्ष में आहरित एक बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से भारतीय स्टेट बैंक की संसद मार्ग शाखा, नई दिल्ली में निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अधीन जमा की जाएगी —

"0070—अन्य प्रशासनिक सेवाएं"

"502—सेवा एवं सेवा शुल्क"

6. **अपील की विषय वस्तु.**—(1) नियम 3 के अधीन फाइल की गई प्रत्येक अपील अंग्रेजी या हिंदी में लिखी जाएगी जिसके साथ बोर्ड के इंकार के उस ओदश की, जिसके विरुद्ध अपील की गई है प्रमाणित प्रति और प्राधिकृत प्रतिनिधि का प्राधिकार होगा और संक्षिप्त रूप में, सुस्पष्ट शीर्षकों के अधीन अपील के आधार दिए जाएंगे जो क्रम से संख्याकित होंगे और उसके समर्थक दस्तावेज या उपाबंधों के साथ अपील का संपूर्ण ज्ञापन सम्यक शपथ पत्र पर होगा और अपील के अन्य पक्षकार को अपील की प्रति तामील की जाएगी और अपील के ज्ञापन के साथ उसकी अभिस्वीकृति फाइल की जाएगी।

(2) कोई अपील, निर्देश, आवेदन, अभ्यावेदन, दस्तावेज या अन्य विषय जो अंग्रेजी या हिंदी से भिन्न किसी भाषा में होंगे केन्द्रीय सरकार द्वारा तब तक स्वीकृत नहीं किए जाएंगे जब तक अंग्रेजी या हिंदी में उसका प्रमाणित सही अनुवाद उसके साथ नहीं लगा होगा।

7. **सूचना या दस्तावेजों का दिया जाना.**—केन्द्रीय सरकार अपील पर विचार करते समय अपील के किसी पक्षकार से जैसा वह आवश्यक समझे ऐसे समय के भीतर जो केन्द्रीय सरकार द्वारा मंजूर किया जाए, ऐसी और सूचना या दस्तावेज प्रस्तुत करने की अपेक्षा कर सकेगी।

8. **अपील की सुनवाई की तारीख और स्थान की संसूचना दिया जाना.**—केन्द्रीय सरकार अपील पर विचार करते समय संबद्ध पक्षकारों को अपील की सुनवाई की तारीख और स्थान संसूचित करेगी।

9. **अपील की सुनवाई.**—(1) केन्द्रीय सरकार अपील के पक्षकारों को सुनवाई का अवसर दिए जाने और नियत दिन को अपील की सुनवाई करने के पश्चात् या किसी अन्य दिन को जिसको सुनवाई स्थगित की जाए, उस पर ऐसा आदेश पारित कर सकेगी जो न्याय का उद्देश्य पूरा करने के लिए वह ठीक समझती है।

(2) जब अपीलार्थी अपील की सुनवाई के लिए बुलाया जाता है, तब वह स्वयं या प्राधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से उपसंजात नहीं होता है तो केन्द्रीय सरकार अपील को या तो व्यतिक्रम के लिए खारिज कर सकेगी या एकपक्षीय रूप से गुणागुण के आधार पर अपील का निपटान कर सकेगी :

परंतु यह है कि यदि अपीलार्थी आवेदन पर केन्द्रीय सरकार का यह समाधान कर देता है कि उसके उपसंजात न होने का पर्याप्त कारण था, जब अपील की सुनवाई के लिए उसे बुलाया गया था, केन्द्रीय सरकार एकपक्षीय आदेश को अपास्त करने का आदेश कर देगी और अपील को प्रत्यावर्तित कर देगी।

(3) उपनियम (1) और (2) के अधीन पारित आदेश लिखित में होगा और तारीख के साथ हस्ताक्षरित होगा और पक्षकारों को संसूचित किया जाएगा।

[फा. सं. 6(12)2001-आई एफ-II]

एम.के. मल्होत्रा, अवर सचिव

प्रारुप

(नियम 3 देखिए)

राज्य वित्तीय निगम अधिनियम, 1951 (1951 का 63) की धारा 5 की उपधारा (5) के अधीन अपील

फाइल करने की तारीख .....

रजिस्ट्रीकरण सं. .....

सचिव भारत सरकार आर्थिक कार्य विभाग नई दिल्ली के समक्ष

क.ख ..... अपीलार्थी

और

बोर्ड (यहां राज्य वित्तीय निगम/अन्य के नाम का उल्लेख करें).....

विरोधी पक्षकार

(यहां पक्षकार(रों) का नाम और पते का उल्लेख करें)

के बीच

उपर्युक्त नाम का अपीलार्थी राज्य वित्तीय निगम अधिनियम, 1951 (1951 का 63) की धारा 5 की उपधारा (5) के अधीन उक्त अधिनियम की धारा 5(4) के अधीन पारित (राज्य वित्तीय निगम के नाम का उल्लेख करें) बोर्ड के इंकार के आदेश के विरुद्ध निम्नलिखित तथ्यों और आधारों पर यह अपील करता है।

तथ्य

(यहां मामलों के तथ्यों का संक्षिप्त रूप से उल्लेख करें। बोर्ड द्वारा इंकार के आदेश की प्रमाणित प्रति और अन्य सुसंगत दस्तावेजों यदि कोई हों, की प्रतियां संलग्न करें)।

आधार

(उन आधारों का उल्लेख करें जिन पर अपील की गई है)

मामला किसी अन्य न्यायालय आदि के साथ लंबित नहीं है—अपीलार्थी यह घोषणा करता है कि वह मामला जिसके संबंध में यह अपील की गई है विधि के किसी न्यायालय या किसी अन्य प्राधिकारी या अधिकरण के समक्ष लंबित नहीं है।

प्रार्थना

उपर्युक्त कथन को ध्यान में रखते हुए अपीलार्थी प्रार्थना करता है कि उसे निम्नलिखित अनुतोष अनुदत्त किया जाए।

मांगा गया अनुतोष

(मांगा गया अनुतोष विनिर्दिष्ट करें)

इस अपील की फीस के रूप में ..... रुपए की रकम भारतीय स्टेट बैंक की शाखा ..... में चालान सं. ..... तारीख ..... द्वारा जमा कर दी गई है।

संलग्नकों की सूची :

1. अधिनियम की धारा 5(4) के अधीन बोर्ड द्वारा पारित इंकार के आदेश की प्रमाणित प्रति।
2. प्राधिकृत प्रतिनिधि का प्राधिकार।
3. अपील के दूसरे पक्षकार पर अपील की प्रति की तामिल दर्शाते हुए प्राप्ति/अभिस्वीकृति।
4. अन्य दस्तावेज आदि।

सत्यापन

मैं सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूँ और यह कथन करता हूँ कि ऊपर अंतर्विष्ट सभी प्रकथन मेरे सर्वोत्तम विश्वास, ज्ञान और जानकारी के आधार पर सही हैं।

स्थान .....

तारीख .....

अपीलार्थी (यों) या उसके/उनके
प्राधिकृत प्रतिनिधि के हस्ताक्षर

शपथ-पत्र

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Economic Affairs)

(BANKING DIVISION)

New Delhi, the 17th July, 2003

G.S.R. 267.—In exercise of the powers conferred by Sub-section (5) of Section 5 and Section 48B of the State Financial Corporations Act, 1951 (63 of 1951), the Central Government hereby makes the following rules, namely: —

1. **Short title and commencement.**— (1) These rules may be called the State Financial Corporations (Appeal to the Central Government) Rules, 2003.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Definitions.** —In these rules, unless the context otherwise requires, —

(a) "Act" means the State Financial Corporations Act, 1951 (63 of 1951);

(b) "appellant" means any person aggrieved against the order of refusal of the Board made under Sub-section (4) of Section 5 of the Act and preferring appeal in terms of Section 5(5) of the Act;

(c) "Authorized representative" means a person duly authorised by the appellant or the Board or any other party to the appeal to appear, plead and act, or to file the appeal or reply or any information or document, as the case may be, on their respective behalf before the Central Government;

(d) "Form" means a form appended hereto;

(e) "party" means the appellant, or any other opposite party to the appeal including the Board, or any other person who is otherwise opposite party to the appeal, and includes their respective authorised representative;

(f) All other expressions used but not defined in these rules, but defined in the Act shall have the meanings respectively assigned to them in the Act.

3. **Procedure for filing appeal.**—(1) Every appeal under sub-section (5) of Section 5 of the Act shall be preferred by the appellant or his authorised representative to the Central Government as nearly as possible in Form.

(2) An appeal under sub-rule (1) shall be deemed to have been preferred to the Central Government on the date on which it is received in the office of the Secretary to the Government of India in the department dealing with Economic Affairs, New Delhi.

4. **Time within which appeal is to be preferred.** — An appeal shall be preferred by the appellant within a period of thirty days from the date of receipt of the order of refusal of the Board made under sub-section (4) of Section 5 of the Act:

Provided that the Central Government may entertain an appeal after the expiry of the said period of thirty days if it is satisfied, based on such cogent materials on record, that there was sufficient cause for not preferring appeal within that period.

5. **Payment of fees.** —(1) Every memorandum of appeal shall be accompanied by a fee of Rs.500/-.

(2) The amount of fees shall be deposited by means of a Bank Draft drawn in favour of Pay & Accounts Officer (Banking) and deposited with State Bank of India, Parliament Street, New Delhi under the Major Head:

"0070— Other Administrative Services"

" 502—Service and Service Fees"

6. **Contents of appeal.** - (1) Every appeal filed under Rule 3 shall be written in English or Hindi accompanied by the certified copy of the order of refusal of the Board appealed against and authority of the authorised representative and shall set forth concisely, under distinct heads, the grounds of appeal which shall be numbered consecutively and whole memorandum of appeal along with supporting documents or annexures thereof shall be on due affidavit and copy of the appeal shall be served on the other party to the appeal and acknowledgement thereof filed with the memorandum of appeal.

(2) No appeal, reference, application, representation, document or other matters contained in any language other than English or Hindi shall be accepted by the Central Government, unless the same is accompanied by a certified true translation thereof in English or Hindi.

7. **Furnishing of information or documents.** — The Central Government may, while considering the appeal, require any party to the appeal, to furnish such further information and documents, as it considers necessary within such time as may be granted by the Central Government.

8. **Date and place of hearing of appeal to be communicated.** — The Central Government shall communicate, while considering the appeal, to the parties concerned, the date and place of the hearing of the appeal.

9. **Hearing of appeal.** — (1) The Central Government may, after giving the parties to the appeal, an opportunity of being heard and, hearing the appeal on the day fixed or any other day to which the hearing may be adjourned, pass such orders thereon as it thinks fit to meet the ends of justice.

(2) In case the appellant does not appear in person or through an authorised representative when the appeal is called for hearing, the Central Government may either dismiss the appeal for default or dispose of the appeal on merits *ex-parte* :

Provided that if the appellant on an application satisfies the Central Government that there was sufficient cause for his non-appearance, when the appeal was called for hearing, the Central Government shall make an order setting aside the *ex-parte* order and restore the appeal.

(3) The order passed under sub-rules (1) and (2) shall be in writing and shall be signed and dated and shall be communicated to the parties.

[F. No 6(12)/2001-IF III]

M.K. MALHOTRA, Under Secy.

FORM

(see Rule 3)

Appeal under sub-section 5 of Section 5 of the State Financial Corporations Act, 1951 (63 of 1951)

Date of Filing —

Registration No. —

Before the Secretary to the Government of India in the Department of Economic Affairs, New Delhi.

Between

A.B.—Appellant(s)

And

The Board [mention here name of the State Financial Corporation/other(s)—

Opposite Party(ies)

[Mention the name and address of the party(ies) here]

The appellant (s) named above, begs to prefer the appeal under sub-section (5) of Section 5 of the State Financial Corporations Act, 1951 (63 of 1951), against the Order of refusal of the Board of (Mention the name of the State Financial Corporation) passed under section 5 (4) of the said Act, on the following facts and grounds.

FACTS

(Mention briefly the facts of the case here. Enclose certified copy of the order of refusal by the Board, and copies of other relevant documents, if any).

GROUNDS

(Mention here the grounds on which the appeal is preferred).

Matter not pending with any other court etc. — The appellant declares that the matter regarding which this appeal has been made is not pending before any court of law or any other authority or Tribunal.

PRAYER

In the light of what is stated above, the appellant (s) prays that he/she/it may be granted the following relief.

RELIEF SOUGHT

(specify the relief sought)

The amount of Rs.----------as fees for this appeal has been deposited vide challan No. ---------- dated ---------- with ---------- branch of the State Bank of India.

List of Enclosures: 1. Certified copy of the order of refusal passed by the Board under section 5 (4) of the Act.

2. Authority of the Authorised Representative.

3. Receipt/acknowledgment showing service of copy of appeal on the other party(ies) to the appeal.

4. Other document(s) etc. ------

VERIFICATION

I do hereby solemnly affirm and state that all the averments contained above are true to the best of my belief, knowledge and information.

Place : ----------

Date : ---------- Signature of Applellant(s) or his/their Authorised representative.

Affidavit

नई दिल्ली, 17 जुलाई 2003

सा.का.नि. 268.—केन्द्रीय सरकार, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक अधिनियम, 1989 (1989 का 39) की धारा 20घ की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.**—(1) इन नियमों का संक्षिप्त भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (केन्द्रीय सरकार को अपील) नियम, 2003 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **परिभाषाएं.**—इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) "अधिनियम" से भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक अधिनियम, 1989 (1989 का 39) अभिप्रेत है;

(ख) "प्राधिकृत प्रतिनिधि" से—

(i) अपीलार्थी के संबंध में अपीलार्थी द्वारा उसकी ओर से केन्द्रीय सरकार को कोई अपील उपस्थित करने के लिए सम्यक् रूप से प्राधिकृत कोई व्यक्ति अभिप्रेत है;

(ii) बोर्ड के संबंध में, बोर्ड द्वारा, बोर्ड की ओर से संकल्प द्वारा इन नियमों के अधीन किसी अपील में प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में उपसंजात होने, अभिवाक करने और कार्य करने के लिए सम्यक् रूप में नियुक्त कोई व्यक्ति अभिप्रेत है;

(iii) अपील के किसी अन्य पक्षकार के संबंध में, ऐसे पक्षकार द्वारा उसकी ओर से उपसंजात होने, अभिवाक करने और कार्य करने के लिए सम्यक् रूप से प्राधिकृत कोई व्यक्ति अभिप्रेत है;

(ग) "बोर्ड" से अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन गठित लघु उद्योग बैंक का निदेशक बोर्ड अभिप्रेत है;

(घ) "लघु उद्योग बैंक" से अधिनियम की धारा 3 के अधीन स्थापित भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक अभिप्रेत है;

(ङ) "प्ररूप" से इन नियमों से संलग्न प्ररूप अभिप्रेत है;

(च) "पक्षकार" से कोई ऐसा व्यक्ति जो केन्द्रीय सरकार के समक्ष कोई अपील फाइल करता है, और प्रत्यर्थी अभिप्रेत है;

(छ) "नियम" से अधिनियम के अधीन बनाए गए नियम अभिप्रेत हैं;

(ज) अन्य पदों के, जिन्हें यहां परिभाषित नहीं किया गया है, वही अर्थ होंगे जो उनके क्रमश: अधिनियम में हैं।

3. **अपील का प्ररूप.**—अधिनियम की धारा 20घ की उपधारा (3) के अधीन प्रत्येक अपील अधिनियम की धारा 20घ की उपधारा (2) के अधीन किए गए बोर्ड के इंकार आदेश से व्यथित व्यक्ति द्वारा केन्द्रीय सरकार को की जाएगी।

4. **वह अवधि जिसके भीतर अपील की जानी है.**—(1) किसी व्यथित व्यक्ति द्वारा कोई अपील अधिनियम की धारा 20घ की उपधारा (2) के अधीन किए गए बोर्ड के इंकार आदेश के उसको संसूचित किए जाने की तारीख से तीस दिन की अवधि के भीतर की जाएगी।

(2) जब उपनियम (1) में विनिर्दिष्ट तीस दिन की अवधि के अवसान के पश्चात् कोई अपील की जाती है, इसके साथ किसी शपथ पत्र से समर्थित जिसमें वे तथ्य जिन पर अपीलार्थी निर्भर करता है केन्द्रीय सरकार का यह समाधन करते हुए कि उसके पास उक्त तीस दिन की अवधि के भीतर अपील न किए जाने के पर्याप्त कारण थे, एक आवेदन लगा होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि अपीलार्थी के पास पूर्वोक्त अवधि के भीतर अपील न किए जाने के पर्याप्त कारण हैं, वह लेखबद्ध किए जाने वाले कारणों से, पूर्वोक्त अवधि के अवसान के पश्चात् किन्तु उसे बोर्ड का इंकार आदेश संसूचित किए जाने की तारीख से पैंतालीस दिन की अवधि के अवसान के पूर्व अपील ग्रहण कर सकेगी।

5. **फीस का संदाय.**—(1) अपील के प्रत्येक ज्ञापन के साथ 500 रू. की फीस होगी।

(2) फीस की रकम भुगतान और लेखा अधिकारी (बैंकिंग) के पक्ष में आहरित एक बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से भारतीय स्टेट बैंक की संसद मार्ग शाखा, नई दिल्ली में निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अधीन जमा की जाएगी:—

"0070 - अन्य प्रशासनिक सेवाएं"

"502 - सेवा एवं सेवा शुल्क"

6. **अपील की विषय वस्तु.**— (1) नियम 3 के अधीन फाइल की गई प्रत्येक अपील अंग्रेजी या हिंदी में लिखी जाएगी और सुभिन्न शीर्षों के अधीन संक्षिप्तत: अपील के आधार दिए जाएंगे जिन्हें क्रमश: संख्यांकित किया जाएगा।

(2) प्रत्येक अपील प्ररूप में दो प्रतियों में फाइल की जाएगी और उसके साथ बोर्ड के इंकार किए जाने के उस आदेश की एक सत्यापित प्रति, जिसके विरूद्ध अपील की गई है, शपथ पत्र और अपील के आधारों के समर्थन में अन्य दस्तावेज होंगे।

7. **प्रतिनिधित्व करने का अधिकार.**— (1) अपीलार्थी और अपील का प्रत्येक अन्य पक्षकार केन्द्रीय सरकार के समक्ष व्यक्तिगत रूप से या अपने प्राधिकृत प्रतिनिधियों के माध्यम से उपसंजात हो सकेंगे।

(2) केन्द्रीय सरकार के समक्ष बोर्ड का प्रतिनिधित्व उसके प्राधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से किया जाएगा।

(3) अपील की सुनवाई आरम्भ होने से पूर्व किसी व्यक्ति को किसी प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में कार्य करने के लिए सशक्त बनाते हुए प्राधिकार केन्द्रीय सरकार के पास फाइल किया जाएगा।

8. **अपील फाइल करने की प्रक्रिया.**— (1) केन्द्रीय सरकार को कोई अपील, या तो अपीलार्थी द्वारा व्यक्तिगत रूप में या उसके प्राधिकृत प्रतिनिधि द्वारा की जाएगी और उसे सचिव, भारत सरकार, आर्थिक कार्य विभाग, वित्त और कम्पनी कार्य मंत्रालय, नई दिल्ली को रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा भेजा जाएगा।

(2) उपनियम (1) के अधीन कोई अपील केन्द्रीय सरकार को उस तारीख को की गई समझी जाएगी जिसको वह सचिव, भारत सरकार, आर्थिक कार्य विभाग, वित्त और कम्पनी कार्य मंत्रालय, नई दिल्ली के कार्यालय में प्राप्त हो जाती है।

9. **सूचना या दस्तावेजों का प्रस्तुत किया जाना.**— (1) केन्द्रीय सरकार, अपील पर विचार करने से पूर्व, अपील के किसी पक्षकार से ऐसी सूचना या दस्तावेज, जो आवश्यक समझे, प्रस्तुत करने की अपेक्षा कर सकेगी।

(2) पक्षकार, ऐसे आदेश से तीस दिन के भीतर या ऐसी अवधि के भीतर जो केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुदत्त की जाए, ऐसी सूचना और दस्तावेज प्रस्तुत करेंगे।

10. **अपील की सुनवाई की तारीख और स्थान का संसूचित किया जाना.**—केन्द्रीय सरकार, अपील पर विचार करने से पूर्व, संबद्ध पक्षकारों को अपील की सुनवाई की तारीख और स्थान संसूचित करेगी और बोर्ड को ऐसी संसूचना के पूर्व या उसके साथ अपील की सूचना भी भेजेगी।

11. **अपील की सुनवाई.**— (1) नियत की गई तारीख को या किसी ऐसी अन्य तारीख को जिसको सुनवाई आस्थगित की जा सकेगी, अपीलार्थी की अपील के समर्थन में सुनवाई की जाएगी। केन्द्रीय सरकार फिर, यदि आवश्यक हो, बोर्ड के प्राधिकृत प्रतिनिधि और अपील के किसी पक्षकार की सुनवाई करेगी और उस दशा में अपीलार्थी उत्तर देने का हकदार होगा।

(2) जब अपील की सुनवाई के लिए बुलाया गया है, अपीलार्थी व्यक्तिगत रूप से या किसी प्राधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से उपसंजात नहीं होता है, उस दशा में केन्द्रीय सरकार अपील को व्यतिक्रम के लिए खारिज कर सकेगी :

परन्तु यदि ऐसा अपीलार्थी या ऐसा प्राधिकृत प्रतिनिधि किसी आवेदन पर केन्द्रीय सरकार का यह समाधान कर देता है कि उसके उपसंजात न होने के पर्याप्त कारण हैं, जब अपील की सुनवाई के लिए बुलाया गया है, तब केन्द्रीय सरकार एकतरफा खारिज किए जाने को अपास्त करते हुए आदेश पारित कर सकेगी और अपील को बहाल कर सकेगी।

12. **केन्द्रीय सरकार द्वारा आदेश.**—(1) केन्द्रीय सरकार, अपील की सुनवाई करने और ऐसी और जांच करने के पश्चात्, जिसे वह आवश्यक समझे, या तो अपील को खारिज कर सकेगी, या

(क) यह निदेश देते हुए कोई आदेश पारित कर सकेगी कि शेयरों का अन्तरण बोर्ड द्वारा रजिस्ट्रीकृत किया जाएगा और बोर्ड आदेश प्राप्ति के तीस दिन के भीतर ऐसे आदेश का अनुपालन करेगा; या

(ख) लघु उद्योग बैंक के शेयर धारकों के रजिस्टर का अनुसमर्थन का निदेश देते हुए कोई आदेश पारित कर सकेगी;

(ग) अपने स्वविवेकाधिकार से, ऐसा अन्य आदेश पारित कर सकेगी जिसे वह ठीक और उचित समझे।

(2) उपर्युक्त उपनियम (1) के अधीन पारित आदेश लिखित में, हस्ताक्षरित और तारीख सहित होगा और सम्बद्ध पक्षकारों को संसूचित किया जाएगा।

[फा. सं. 17(5) 2001-आईएफ-II]

एम. के. मल्होत्रा, अवर सचिव

प्ररूप

भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक

(केन्द्रीय सरकार को अपील)

(नियम 3 देखिए)

अपील का प्ररूप

प्रेषक

(यहां अपीलार्थी का नाम और पता उल्लिखित करें)

सेवा में

सचिव, भारत सरकार,

आर्थिक कार्य विभाग,

वित्त और कम्पनी कार्य मंत्रालय,

नई दिल्ली

महोदय,

उपर्युक्त नाम का अपीलार्थी, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक अधिनियम, 1989 (1989 का 39) की धारा 20 घ की उपधारा (3) के अधीन उक्त अधिनियम के अधीन पारित लघु उद्योग बैंक के बोर्ड के इंकार आदेश के विरूद्ध निम्नलिखित तथ्यों और आधारों पर यह अपील करता है।

तथ्य

यहां मामले के तथ्यों का संक्षिप्तत: उल्लेख करें । बोर्ड द्वारा इंकार किए जाने के आदेश की सत्यापित प्रति, एक शपथ पत्र और अन्य सुसंगत दस्तावेजों, यदि कोई हों, की प्रतियां प्रस्तुत करें।

आधार

(उन आधारों का उल्लेख करें जिन पर अपील की गई है)

प्रार्थना

उपर्युक्त कथन को ध्यान में रखते हुए अपीलार्थी प्रार्थना करता है कि उसे निम्नलिखित अनुतोष अनुदत्त किया जाए।

मांगा गया अनुतोष

(यहां मांगा गया अनुतोष विनिर्दिष्ट करें)

इस अपील की फीस के रूप में ..... रूपये की रकम भारतीय स्टेट बैंक की शाखा ..... में चालान सं. ..... तारीख ..... द्वारा जाम कर दी है

(अपीलार्थी या उसके प्राधिकृत प्रतिनिधि के हस्ताक्षर)

New Delhi, the 17th July, 2003

G.S.R. 268.—In exercise of the powers conferred by Sub-section (3) of Section 20D of the Small Industries Development Bank of India Act, 1989 (39 of 1989), the Central Government hereby makes the following rules, namely :—

1. **Short Title and commencement :**—(1) These rules may be called the Small Industries Development Bank of India (Appeal to the Central Government) Rules, 2003.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Definitions :**—In these rules, unless the context otherwise requires,—

(a) "Act" means the Small Industries Development Bank of India Act, 1989 (39 of 1989);

(b) "authorized representative" means—

(i) in relation to an appellant, a person duly authorized by the appellant to present an appeal on his behalf to the Central Government;

(ii) in relation to the Board, a person duly appointed by the Board by resolution as authorized representative to appear, plead and act on behalf of the Board in any appeal under these rules;

(iii) in relation to any other party to the appeal, a person duly authorized by such party to appear, plead and act on his behalf;

(c) "Board" means the Board of Directors of the Small Industries Bank constituted under Sub-section (1) of section 3 of the Act;

(d) "Small Industries Bank" means the small Industries Development Bank of India established under Section 3 of the Act;

(e) "Form" means the form appended to these rules;

(f) "party" means a person who files an appeal before the Central Government and the respondent;

(g) "rules" means the rules made under the Act;

(h) other expressions, which are not defined here, shall have the meaning respectively assigned to them in the Act.

3. **Form of Appeal :**—Every appeal under Sub-section (3) of Section 20D of the Act shall be preferred by any person aggrieved by an Order of refusal of the Board made under Sub-section (2) of Section (2) of Section 20D to the Central Government in the Form.

4. **Time within which appeal is to be preferred.**—(1) An appeal shall be preferred by the aggrieved person within a period of thirty days from the date of communication to him of the order of refusal of the Board made under sub-section (2) of section 20D of the Act.

(2) When the appeal is preferred after the expiry of the period of thirty days specified in sub-rule (1), it shall be accompanied by an application supported by an affidavit setting forth the facts on which the appellant relies to satisfy the Central Government that he had sufficient cause for not preferring the appeal within the said period of thirty days;

Provided that if the Central Government is satisfied that the appellant had sufficient cause for not preferring the appeal within the aforesaid period, it may, for reasons to be recorded in writing, admit the appeal after the expiry of the aforesaid period but before the expiry of forty five days from the date of communication to him of the order of refusal of the Board.

5. **Payment of fees.**—(1) Every memorandum of appeal shall be accompanied by a fee of Rs. 500/-

(2) The amount of fees shall be deposited through a Bank Draft drawn in favour of Pay & Accounts Officer (Banking) and deposited with the State Bank of India, Parliament Street, New Delhi under the Major head—

"0070"—Other administrative services"

"502"—Service and Service Fees"

6. **Contents of appeal.**—(1) Every appeal filed under rule 3 shall be written in English or Hindi and shall set forth concisely under distinct heads, the grounds of appeal which shall be numbered consecutively.

(2) Every appeal shall be filed in the Form in duplicate and shall be accompanied by a certified copy of the order of refusal of the Board appealed against, affidavit and other documents to support the grounds of appeal.

7. **Right to representation.**—(1) An appellant and every other party to the appeal may appear before the Central Government in person or through their authorized representatives.

(2) The Board shall be represented before the Central Government through its authorized representative.

(3) Authorisation empowering a person to act as an authorized representative shall be filed with the Central Government before the commencement of the hearing of the appeal.

8. **Procedure for filing appeal.**—(1) An appeal shall be preferred either by the appellant in person or his authorized representative to the Central Government and the same shall be addressed to the Secretary to the Government of India, Department of Economic Affairs, Ministry of Finance and Company Affairs, New Delhi by registered post.

(2) An appeal under sub-rule (1) shall be deemed to have been preferred to the Central Government on the date on which it is received in the office of the Secretary to the Government of India, Department of Economic Affairs, Ministry of Finance and Company Affairs, New Delhi.

9. **Furnishing of information or documents.**—(1) The Central Government may, before considering the appeal, require any party to the appeal, to furnish such further information and documents as it considers necessary.

(2) The parties shall furnish such information and documents within thirty days of such order or such further period as may be granted by the Central Government.

10. **Date and place of hearing of appeal to be communicated.**—The Central Government shall communicate, before considering the appeal, to the parties concerned, the date and place of the hearing of the appeal and shall also send a notice of the appeal to the Board either before or with such communication.

11. **Hearing of appeal.**—(1) On the days fixed or on any other day to which the hearing may be adjourned, the appellant shall be heard in support of the appeal. The Central Government shall then, if necessary, hear the authorized representative of the Board and any other party to the appeal and in such case the appellant shall be entitled to reply.

(2) In case the appellant does not appear in person or through an authorized representative when the appeal is called for hearing, Central Government may dismiss the appeal for default :

Provided that if such appellant or such authorized representative on an application satisfy the Central Government that there was sufficient cause for his non-appearance, when the appeal was called for hearing, the Central Government may make an order setting aside the ex-parte dismissal and restore the appeal.

12. **Orders by the Central Government.**—(1) The Central Government may after considering the appeal and making such further enquiry as it considers necessary, either dismiss the appeal; or

(a) pass an order directing that the transfer of shares shall be registered by the Board and the Board shal comply with such order within thirty days of the receipt of the order ; or

(b) pass an order directing the rectification of the register of shareholders of the Small Industries Bank ; or

(c) in its discretion, pass such other orders as it may be deem fit and just.

(2) The order passed under sub-rule (1) above, shall be in writing, signed and dated and shall be communicated to the concerned parties.

[F. No. 17 (5)/ 2001-IF-II]

M. K. MALHOTRA, Under Secy.

FORM

SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK OF INDIA

(Appeal to the Central Government)

(see rule 3)

Form of Appeal

From :

(Mention the name and address of the appellant here)

To

The Secretary to the Government of India,

Department of Economic Affairs,

Ministry of Finance.

New Delhi.

Sir,

The Appellant named above, begs to prefer this appeal under Sub-section (3) of Section 20D of the Small Industries Development Bank of India Act, 1989 (39 of 1989), against Order of refusal of the Board of Small Industries Bank passed under the said Act, on the following facts and grounds.

FACTS

(Mention briefly the facts of the case here. Enclose certified copy of the order of refusal by the Board, an affidavit and copies of other relevant documents, if any.

GROUNDS

(Mention here the grounds on which the appeal is made)

PRAYER

In the light of what is stated above, the appellant prays that he/she/it may be granted the following relief.

RELIEF SOUGHT

(specify the relief sought)

The amounts of Rs. ————————as fees for this appeal has been deposited vide challan No. ———— dated————————with————————branch of the State Bank of India.

(Signature of the Appellant or his authorized representative)

कृषि मंत्रालय

(पशुपालन एवं डेयरी विभाग)

नई दिल्ली, 7 जुलाई, 2003

सा. का. नि. 269.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और दिल्ली दुग्ध योजना, हिन्दी अधिकारी (समूह "ख" पद) भर्ती नियम, 1994 को उन बातों के सिवाय अधिक्रान्त करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, कृषि मंत्रालय, पशुपालन और डेयरी विभाग के अधीन दिल्ली दुग्ध योजना में हिन्दी अधिकारी के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.**—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम दिल्ली दुग्ध योजना, हिन्दी अधिकारी (समूह "ख") भर्ती नियम, 2003 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **पद संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान.**— उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और उसका वेतनमान वह होगा, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ (2) से स्तम्भ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि.**—उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तम्भ (5) से स्तम्भ (14) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. **निरर्हता.**—वह व्यक्ति,—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह, ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है, और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. **शिथिल करने की शक्ति.**—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी ।

6. **व्यावृत्ति.**—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों, अन्य पिछड़े वर्गों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

1. पद का नाम	:	हिन्दी अधिकारी
2. पदों की संख्या	:	01* (2003) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।
3. वर्गीकरण	:	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह "ख", राजपत्रित, अननुसचिवीय
4. वेतनमान	:	रु. 6500-200-10500 रु.
5. चयन अथवा अचयन पद	:	लागू नहीं होता
6. सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा	:	लागू नहीं होता
7. सेवा में जोड़े गए वर्षों का फायदा अनुज्ञेय है या नहीं	:	लागू नहीं होता
8. सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	:	लागू नहीं होता

9.	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं, प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	: लागू नहीं होता
10.	रिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	: लागू नहीं होता
11.	भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा और विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पदों की प्रतिशतता	: प्रतिनियुक्ति /प्रोन्नति
12.	प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/स्थानांतरण/आमेलन किया जाएगा	: **प्रतिनियुक्ति/प्रोन्नति :** केन्द्रीय सरकार के ऐसे अधिकारी जो—

(क) (1) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं; या

(2) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में 5500-9000 रु. के वेतनमान या समतुल्य में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में तीन वर्ष सेवा कर चुके हैं; या

(3) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में 5000-8000 रु. के वेतनमान या समतुल्य में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में छः वर्ष सेवा कर चुके हैं; और

(ख) जिनके पास निम्नलिखित शैक्षिक अर्हताएं हैं :—

(1) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से डिग्री स्तर पर हिन्दी विषय के साथ अंग्रेजी में स्नातकोत्तर डिग्री या समतुल्य; या

किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से डिग्री स्तर पर हिन्दी विषय के साथ अंग्रेजी में स्नातकोत्तर डिग्री या समतुल्य; या

किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से डिग्री स्तर पर अंग्रेजी विषय के साथ और हिन्दी से किसी भी विषय में स्नाकोत्तर डिग्री या समतुल्य; या

किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से डिग्री स्तर पर हिन्दी विषय के साथ और अंग्रेजी माध्यम से किसी भी विषय में स्नातकोत्तर डिग्री या समतुल्य; या

किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से डिग्री स्तर पर हिन्दी विषय के साथ अंग्रेजी माध्यम से स्नातकोत्तर डिग्री या समतुल्य; या

(2) हिन्दी में पारिभाषिक शब्दावली कार्य और अंग्रेजी से हिन्दी या विमर्यमेन अधिमान्यता तकनीकी या वैज्ञानिक साहित्य के अनुवाद कार्य का पांच वर्ष का अनुभव; या

हिन्दी अध्यापन, अनुसंधान, लेखन या पत्रकारिता का पांच वर्ष का अनुभव।

वांछनीय :—

(1) संस्कृत और/या आधुनिक भारतीय भाषा का ज्ञान।

(2) प्रशासनिक अनुभव।

(3) टिप्पण तथा प्रारूपण के लिए हिन्दी कक्षाएं या कार्यशालाएं आयोजित करने का अनुभव।

II. ऐसे विभागीय हिन्दी अनुवादक जिन्होंने 5500-9000 रुपए के वेतनमान की श्रेणी में तीन वर्ष की नियमित आधार पर सेवा की है जिसके न हो

सकने पर हिन्दी अनुवादक तथा कनिष्ठ हिन्दी अनुवादक के रूप में मिलाकर छः वर्ष नियमित सेवा की है के संबंध में भी अन्य व्यक्तियों के साथ विचार किया जाएगा तथा यदि उसका उस पद पर नियुक्ति के लिए चयन हो जाता है तो यह पद प्रोन्नति द्वारा भरा जाएगा।

पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार, प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।

प्रतिनियुक्ति/संविदा की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

13. यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना : लागू नहीं होता

14. भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा : संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है।

[फा. सं. 3/19/99-प्रशासन-4]

एच. के. जगोता, अवर सचिव

MINISTRY OF AGRICULTURE

(Department of Animal Husbandry and Dairying)

New Delhi, the 7th July, 2003

G.S.R. 269.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, and in supersession of the Delhi Milk Scheme, Hindi Officer (Group 'B' post) Recruitment Rules, 1994, except as respect things done or omitted to be done before such supersession, the president hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Hindi Officer in Delhi Milk Scheme under the Department of Animal Husbandry and Dairying in the Minisry of Agriculture, namely :

1. Short title and commencement.—(i) These rules may be called, the Delhi Milk Scheme, Hindi Officer (Group 'B' post) Recruitment Rules, 2003.

(ii) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of posts, classification and scale of pay.—The number of the said post, its classification and the scale of pay attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to this rulers.

3. Method of recruitment, age limit, qualifications.—The method of recruitment to the said post, age limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns (5) to (14) of the said Schedule.

4. Disqualification.—No person,—

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post :

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax.—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving.—Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes and Other Backward Classes, Ex-Servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

1.	Name of post	: Hindi Officer
2.	Number of post	: 1* (2003) *Subject to variation dependent on workload.
3.	Classification	: General Central Service Group 'B' Gazetted, Non-Ministerial.
4.	Scale of pay	: Rs. 6500-200-10500/-
5.	Whether Selection or non-selection post	: Not applicable
6.	Age limit for direct recruits	: Not applicable
7.	Whether benefit of added years of service admissible	: Not applicable
8.	Educational and other qualification required for direct recruits	: Not applicable
9.	Whether age and Educational Qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	: Not applicable
10.	Period of probation, if any	: Not applicable
11.	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion/deputation/ absorption and percentage of the post to be filled by various methods.	: Deputation/Promotion.
12.	In case of recruitment by promotion/ deputation/absorption grades from which promotion/deputation/absorption to be made.	: **Deputation/Promotion** I. Officers of the Central Government : (a) (i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre/ department; or (ii) with three years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in the scale of pay of Rs. 5500-9000 or equivalent in the parent cadre or department; or (iii) with six years service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in the scale of pay of Rs. 5000-8000 or equivalent in the parent cadre/department; and (b) Possessing the following educational qualifications:— **Essential :** (i) Master's Degree of a recognised University or equivalent in Hindi with English as a subject at the Degree level; OR Master's Degree of a recognised University or equivalent in English with Hindi as a subject at the Degree level; OR Master's Degree of a recognised University or equivalent in any subject with Hindi and English as a subject at the degree level; OR Master's Degree of a recognised University or equivalent in any subject with Hindi medium and English as a subject at the Degree level; OR

		Master's Degree of a recognised University or equivalent in any subject with English medium and Hindi as a subject at the degree level. (ii) Five Years' experience of terminological work in Hindi and/or translation work from English to Hindi or vice-versa preferrably of technical or Scientific literature. OR Five years' experience of Teaching, Research, writing or Journalism in Hindi. **Desirable :** (i) Knowledge of Sanskrit and/or a Modern Indian Language. (ii) Administrative experience. (iii) Experience of Organising Hindi Classes or Workshops for noting and drafting. The Departmental Hindi Translator in the scale of pay of Rs. 5500-9000 with three years' regular service in the grade failing which six years combined regular service as Hindi Translator and Junior Hindi Translator will also be considered alongwith deputationists and in case he is selected for appointment to the post, the same shall be deemed to have been filled by promotion. The Departmental Officers in the feeder category who are in the direct line of promotion will not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion. (Period of deputation including period of deputation in another Ex-Cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other Organization/Department of the Central Government shall ordinarily not to exceed three years. The maximum age limit for appointment by deputation shall be not exceeding 56 years as on the closing date of the receipt of applications).
13. If a Departmental Promotion Committee exists what is its composition.	:	Not applicable
14. Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.	:	Consultation with Union Public Service Commission necessary.

[F. No. 3/19/99-Admn.-IV]
H. K. JAGOTA, Under Secy.

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

(औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग)

नई दिल्ली, 14 जुलाई, 2003

सा० का० नि० 270.—केन्द्रीय सरकार, नमक उपकर अधिनियम, 1953 (1953 का 49) की धारा 6 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.**—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम अनुज्ञप्त नमक विनिर्माताओं को विकास उधार अनुदान (निरसन) नियम, 2003 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **निरसन.**—अनुज्ञप्त नमक विनिर्माताओं को विकास उधार अनुदान नियम, 1990 निरसित किए जाते हैं।

3. **व्यावृत्ति.**—ऐसे निरसन के होते हुए भी, केन्द्रीय सरकार को उधार या उसके अंसदत्त अतिशेष की पूरी रकम निरसित नियमों के अधीन मंजूर या अनुदत्त उधार के निबंधनों और शर्तों के अनुसार ऐसे उधार पर उपगत ब्याज के साथ वसूल करने का अधिकार होगा।

[फा. सं. 44011/28/2002-नमक]

एस० सी० शिवाजी राव, अवर सचिव

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Industrial Policy and Promotion)

New Delhi, the 14th July, 2003

G.S.R. 270.—In exercise of the powers conferred by Section 6 of the Salt Cess Act, 1953 (49 of 1953) the Central Government hereby makes the following rules, namely :—

1. Short title and commencement .—(1) These rules may be called the Grant of Loans to Licensed Salt Manufacturers' (Repeal) Rules, 2003.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Repeal.—The grants of loans to Licensed Salt Manufacturers; Rules, 1990 are hereby repealed.

3. Saving.—Notwithstanding such repeal, the Central Government shall have the right to recover the full amount of the Loan or unpaid balance thereof together with interest accrued on such loan as per the terms and conditions of the loan sanctioned or granted under the repealed rules.

[F. No. 44011/28/2002-Salt]

S. C. SIVAJI RAO, Under Secy.

जल संसाधन मंत्रालय

नई दिल्ली, 8 जुलाई, 2003

सा० का० नि० 271.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और जल संसाधन मंत्रालय, केन्द्रीय मृदा एवं सामग्री अनुसंधानशाला, समूह "ग" अनुसचिवीय भर्ती नियम, 1988 और केन्द्रीय मृदा एवं सामग्री अनुसंधानशाला, नई दिल्ली (अनुषंगी सेवा) भर्ती नियम, 1984 को उन बातों के सिवाय अधिक्रान्त करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने से लोप किया गया है, जल संसाधन मंत्रालय के अधीन केन्द्रीय मृदा एवं सामग्री अनुसंधानशाला, नई दिल्ली में प्रयोगशाला मददगार श्रेणी I, प्रयोगशाला मददगार श्रेणी II, और प्रयोगशाला मददगार श्रेणी III के पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.**—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय मृदा एवं सामग्री अनुसंधानशाला, नई दिल्ली (प्रयोगशाला मददगार) भर्ती नियम, 2003 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **पद संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान.**— उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनके वेतनमान के होंगे, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ 2 से स्तम्भ 4 में विनिर्दिष्ट हैं।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, और अन्य अर्हताएं आदि.**—उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उनसे सम्बन्धित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तम्भ 5 से स्तम्भ 14 में विनिर्दिष्ट हैं।

4. **निरर्हता.**—वह व्यक्ति,—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह, ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है, और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. **शिथिल करने की शक्ति.**—जहां केन्द्रीय सरकार को यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों के संबंध में आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी ।

6. **व्यावृत्ति.**—इन नियमों की कोई भी बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिसका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़ वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

1.	1. पद का नाम	:	प्रयोगशाला मददगार श्रेणी I
	2. पदों की संख्या	:	19* (2003) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।
	3. वर्गीकरण	:	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह ''ग'', अराजपत्रित, अननुसचिवीय
	4. वेतनमान	:	2,750-70-3,800-75-4,400 रु.
	5. चयन अथवा अचयन पद	:	लागू नहीं होता
	6. सेवा में जोड़े गए वर्षों का फायदा केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 30 के अधीन अनुज्ञेय है या नहीं	:	लागू नहीं होता
	7. सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा	:	18 से 25 वर्ष के बीच (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए शिथिल करके साधारण अभ्यर्थियों की दशा में 40 वर्ष तक और अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की दशा में 45 वर्ष की जी सकती है।) **टिप्पण 1 :**—केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर यथा अधिसूचित अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/अन्य पिछड़े वर्गों और कतिपय अन्य प्रवर्गों के लिए शिथिल की जा सकती है। **टिप्पण 2 :**—अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/अन्य पिछड़े वर्गों की किसी अन्य आयु के साथ संचयी रूप से शिथिल की जा सकती है। **टिप्पण 3 :** आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। (न कि वह अंतिम तारीख, जो असम, मेघालय, अरूणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा-जिले के पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।) **टिप्पण 4 :**—रोजगार कार्यालयों के माध्यम से की जाने वाली नियुक्ति की दशा में आयुसीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह अंतिम तारीख होगी जिस तक रोजगार कार्यालयों से नाम भेजने के लिए कहा गया है।
	8. सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	:	किसी विश्वविद्यालय/बोर्ड से माध्यमिक विद्यालय प्रमाणपत्र या समतुल्य साथ ही प्रयोगशाला और क्षेत्र परीक्षण में नमूना तैयार करने के लिए सहायता करने और भूयांत्रिक, निर्माण सामग्री और सहबद्ध क्षेत्रों से संबंधित प्रयोगशाला और क्षेत्र परीक्षण में संव्यवहार में लगे अधिकारियों और अनुसंधान कार्मिकों की सहायता करने और प्रयोगशाला और क्षेत्र मशीन और उपकरणों की सफाई और प्रयोगशाला को दुरस्त रखने का 8 वर्ष का अनुभव। दो वर्ष के अनुभव वाले राष्ट्रीय व्यवसाय प्रमाणपत्र (औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान) अर्हित व्यक्तियों पर भी विचार किया जाएगा।
	9. सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं, प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	:	लागू नहीं होता
	10. परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	:	दो वर्ष

11. **भर्ती की पद्धति :** भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पदों की प्रतिशतता	:	प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा।
12. प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा	:	ऐसे प्रयोगशाला मददगार श्रेणी II की प्रोन्नति जिन्होंने उस श्रणी में चार वर्ष से अन्यून सेवा की हो। **टिप्पण :** जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में जिन्होंने अपनी अर्हक/पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परन्तु यह तब जब कि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा, के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली है।
13. यदि निर्धारण बोर्ड/विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	:	**समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति जिसमें निम्नलिखित होंगे :—** 1. मुख्य अनुसंधान अधिकारी, केन्द्रीय मृदा एवं सामग्री अनुसंधानशाला (जो निदेशक केन्द्रीय मृदा एवं सामग्री अनुसंधानशाला द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाएगा) —अध्यक्ष 2. अवर सचिव, केन्द्रीय मृदा एवं सामग्री अनुसंधानशाला—सदस्य 3. अनुभाग अधिकारी (स्थापना-II अनुभाग), जल संसाधन मंत्रालय—सदस्य
14. भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा	:	लागू नहीं होता।

2. 1. : प्रयोगशाला मददगार श्रेणी II

2. : 25*
(2003)
*कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।

3. : साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह ''घ'', अराजपत्रित, अननुसचिवीय

4. : 2,610-60-2,910-65-3,300-70-4,000 रु.

5. : अचयन

6. : लागू नहीं होता

7. : लागू नहीं होता

8. : लागू नहीं होता

9. : लागू नहीं होता

10. : लागू नहीं होता

11. : 100% प्रोन्नति द्वारा

12. : ऐसे प्रयोगशाला मददगार श्रेणी III की प्रोन्नति जिन्होंने उस श्रेणी में चार वर्ष नियमित सेवा की हो।
टिप्पण : जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक/पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परन्तु यह तब जब कि उनके द्वारा की

गई ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित जिन्होंने ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा, पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।

13. : **समूह "घ" विभागीय प्रोन्नति समिति जिसमें निम्नलिखित होंगे :—**

1. अवर सचिव, केन्द्रीय मृदा एवं सामग्री अनुसंधानशाला —अध्यक्ष
2. अनुभाग अधिकारी, केन्द्रीय मृदा एवं सामग्री अनुसंधानशाला—सदस्य
3. अनुभाग अधिकारी (स्थापना-II अनुभाग), जल संसाधन मंत्रालय—सदस्य

14. : लागू नहीं होता

3. 1. : प्रयोगशाला मददगार श्रेणी III

2. : 60*
(2003)

*कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।

3. : साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह "घ", अराजपत्रित, अननुसचिवीय

4. : 2,550-55-2,660-60-3,200 रु.

5. : लागू नहीं होता

6. : लागू नहीं होता

7. : 18 से 25 वर्ष

टिप्पण 1:—केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर यथा अधिसूचित अनुसूचित जातियों/ अनुसूचित जनजातियों/अन्य पिछड़े वर्गों और कतिपय अन्य प्रवर्गों के लिए शिथिल की जा सकती है।

टिप्पण 2:—अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/अन्य पिछड़े वर्गों की किसी अन्य आयु के साथ संचयी रूप से शिथिल की जा सकती है।

टिप्पण 3 :—आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरूणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड़, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा-जिले के पांगी उपखंड, अंडमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।)

टिप्पण 4 :—रोजगार कार्यालयों के माध्यम से की जाने वाली नियुक्ति की दशा में, आयुसीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह अंतिम तारीख होगी जिस तक रोजगार कार्यालयों से नाम भेजने के लिए कहा गया है।

8. : आवश्यक आठवीं कक्षा उतीर्ण

वांछनीय : प्रयोगशाला साधित्र/मोटर यान साफ करने का न्यूनतम छह मास का अनुभव

9. : लागू नहीं होता

10. : लागू नहीं होता

11. : 100% सीधी भर्ती द्वारा

12. : लागू नहीं होता

13. : **समूह "घ" विभागीय प्रोन्नति समिति जिसमें निम्नलिखित होंगे :—**

1. अवर सचिव, केन्द्रीय मृदा एवं सामग्री अनुसंधानशाला —अध्यक्ष
2. अनुभाग अधिकारी, केन्द्रीय मृदा एवं सामग्री अनुसंधानशाला —सदस्य
3. अनुभाग अधिकारी (स्थापना-II अनुभाग), जल संसाधन मंत्रालय —सदस्य

14. : लागू नहीं होता

[सं. 1/2003/फा. सं. 2/(1)/2001-स्था.-II]

गोपाल दास, अवर सचिव

MINISTRY OF WATER RESOURCES

New Delhi, the 8th July, 2003

G.S.R. 271.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, and in supersession of the Ministry of Water Resources, Central Soil and Materials Research Station, New Delhi, Group 'C', non-Ministerial Recruitment Rules, 1988 and Central Soil and Materials Research Station, New Delhi (Ancillary Services) Recruitment Rules, 1984, except as respect things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Laboratory Helper Grade I, Laboratory Helper Grade II and Laboratory Helper Grade III in the Central Soil and Materials Research Station, New Delhi, under the Ministry of Water Resources, namely :—

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called, the Central Soil and Materials Research Station, New Delhi, (Laboratory Helpers) Recruitment Rules, 2003.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of posts, classification and scale of pay.—The number of posts, its classification and the scales of pay attached thereto shall be as specified in columns 2 to 4 of the schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age limit, and other qualifications etc.—The method of recruitment to the said post, age limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns 5 to 14 of the said Schedule.

4. Disqualification.—No person,—

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said posts :

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax.—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving.—Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes and Other Backward classes, the ex-serviceman and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

1.	1. Name of post	:	Laboratory Helper Grade I
	2. Number of posts	:	19* (2003) *Subject to variation dependent on workload.
	3. Classification	:	General Central Service Group 'C' Non-Gazetted, Non-Ministerial.
	4. Scale of pay	:	Rs. 2,750-70-3,800-75-4,400
	5. Whether Selection Post or Non-Selection Post	:	Non-selection
	6. Whether benefit of added years of service admissible under Rule 30 of the Central Civil Services (Pension) Rules, 1972	:	Not applicable
	7. Age limit for direct recruits	:	Between 18 to 25 years (Relaxable for Government servants upto 40 years in case of General candidates and 45 years in case of Scheduled Caste/Scheduled Tribe candidates in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government.)

Note 1 :—Relaxable for Scheduled Castes/Scheduled Tribes/Other Backward Classes and certain other categories as notified by the Central Govt. from time to time.

Note 2 :—Relaxable cumulatively with any other age relaxation of Scheduled Castes/Scheduled Tribes,Other Backward Classes.

Note 3 :—The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of application from candidates except for the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Sikkim, Laddakh Division of Jammu & Kashmir, Lahaul & Spiti District and Pangi Sub-division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman & Nicobar Islands and Lakshdweep.

Note 4 :—In case of appointment to be made through the Employment Exchange, the crucial date shall be the last date upto which Employment Exchange is asked to submit the names.

8. Educational and other qualification required for direct recruits : Secondary School Certificate or equivalent from a recognised University/Board with 8 years experience in assisting in preparation of the samples for the laboratory and filed testing, and assisting officers and research personnel in conducting laboratory and field tests connected with geomechanics, construction materials and allied field and clearing and up-keep of laboratory and field machines and equipments. [National Trade Certificate (Industrial Training Institute) qualified persons will be considered with 2 years of experience.]

Note : The qualification regarding experience is relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission/Competent Authority in the case of candidates belonging to Scheduled Castes or Scheduled Tribes if at any stage of selction the Staff Selection Commission/Competent Authority is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancy reserved for them.

9. Whether age and Educational Qualification prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees : Not applicable

10. Period of probation, if any : Two years

11. Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion/deputation/ absorption and percentage of the post to be filled by various methods : By Promotion. failing which by direct recruitment.

12. In case of recruitment by promotion/ deputation/absorption grades from which promotion/deputation/absorption to be made. : Promotion of Laboratory Helper Grade II who have rendered not less than 4 (four) years regular service in the grade.

Note : where juniors who have completed their qualifiying/eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisiste qualifying/eligibility service by more than half of such qualifying/

eligibility service or two years, whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade alongwith their juniors who have already completed such qualifying/eligibility service.

13. If a Board of Assessment/ Departmental Promotion Committee exist, what is its composition : **Departmental Promotion Committee Group 'C' consisting of :—**
1. Chief Research Officer, Central Soil and Materials Research Station to be nominated by Director, by Central Soil and Materials Research Station —Chairman
2. Under Secretary, Central Soil and Materials Research Station —Member
3. Section Officer (Establsihment-II Section), Ministry of Water Resources —Member

14. Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment. : Not applicable

---

2. 1. : Laboratory Helper Grade II

2. : 25*

(2003)

*Subject to variation dependent on workload

3. : General Central Service Group 'D', Non-Gazetted, Non-Ministerial

4. : Rs. 2,610-60-2,910-65-3,300-70-4,000

5. : Non-Selection

6. : Not applicable

7. : Not applicable

8. : Not applicable

9. Not applicble

10. : Not applicble

11. 100% by promotion

12. : Promotion of Laboratory Helper Grade III who have rendered not less than 4 (four) years regular service in the grade.

Note : where juniors who have completed their qualifying/eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying/eligibility service by more than half of such qualifying/eligibility service or two years, whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade alongwith their juniors who have already completed such qualifying/eligibility service.

13. **Departmental Promotion Committee Group 'D' consisting of :—**
1. Under secretary, Central Soil and Materials Research Station —Chairman
2. Section Officer, Central Soil and Materials Research Station —Member
3. Section Officer (Establishment-II Section), Ministry of Water Resources —Member

14. : Not applicble

3. 1. : Laboratory Helper Grade III

2. : 60*

(2003)

*Subject to variation dependent on workload

3. General Central Service Group 'D', Non-Gazetted, Non-Ministerial

4. : Rs. 2,550-55-2,660-60-3,200

5. : Not applicable

6. : Not applicable

7. 18 to 25 years

Note : 1. Relaxable for Scheduled Castes/Scheduled Tribes/Other Backward Classes and certain other categories as notified by the Central Govt. from time to time.

Note : 2. Relaxable cumulatively with any other age relaxation of Scheduled Castes/Scheduled Tribes/ Other Backward Classes.

Note : 3. The crucial date for determining the age limit shall be closing date for receipt of application from candidates except for the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh. Mizoram, Manipur, Nagaland, Sikkim, Ladakh Division of Jammu & Kashmir, Lahaul & Spiti District and Pangi Sub-division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman & Nicobar Islands and Lakshdweep.

Note : 4 In case of appointment to be made through the Employment Exchange, the crucial date shall be the last date upto which Employment Exchange is asked to submit the names.

8. : **Essential :** 8th Class Pass

Desirable : Experience of cleaning Laboratory apparatus/motor vehicles for at least six months.

9. : Not applicable

10. : Two years

11. : 100% by direct recruitment

12. : Not applicable

13. : **Departmental Promotion Committee Group 'D' consisting of :—**

1. Under Secretary, Central Soil and Materials Research Station —Chairman
2. Section Officer, Central Soil and Materials Research Station —Member
3. Section Officer (Establishment-II Section), Ministry of Water Resources —Member

14. : Not applicble

[No. 1/2003/F. No. 2/(1)/2001-Estt.-II]

GOPAL DASS, Under Secy.

योजना आयोग

नई दिल्ली, 8 जुलाई, 2003

सा० का० नि० 272.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और योजना आयोग (संयुक्त सलाहकार) भर्ती नियम, 2000 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.**—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम योजना आयोग (संयुक्त सलाहकार) भर्ती (संशोधन) नियम, 2003 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. योजना आयोग (संयुक्त सलाहकार) भर्ती नियम, 2000 की अनुसूची में,—

(क) स्तंभ 1 में की गई प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात् :—

"संयुक्त सलाहकार

1.	खनिज	—	1
2.	शिक्षा	—	1
3.	परियोजना अंकन	—	1
4.	परिप्रेक्ष्य योजना	—	1
5.	उपभोक्ता उद्योग	—	1
6.	औद्योगिक अर्थशास्त्र/प्रबंध	—	1
7.	विद्युत	—	1
8.	वित्तीय स्रोत	—	1
9.	कृषि	—	1
10.	वैज्ञानिक अनुसंधान	—	1
11.	कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन	—	1
12.	कोयला	—	1
13.	पैट्रोलियम	—	1
14.	उद्योग और अवसंरचना योजना	—	1
15.	श्रम और नियोजन	—	1
16.	कृषि योजना अध्ययन	—	1
17.	जलस्रोत	—	1
18.	ग्रामोद्योग और लघु उद्योग	—	1
19.	पर्यावरण और वन	—	1"

(ख) स्तंभ 2 में की गई प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएंगी, अर्थात् :—

"19* (2003)

*कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है";

(ग) स्तंभ 5 के शीर्ष के स्थान पर निम्नलिखित शीर्ष रखा जाएगा, अर्थात् :—

"चयन और अचयन पद"

(घ) सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताओं से संबंधित:—

(i) क्रम संख्यांक 13 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :—

"13. संयुक्त सलाहकार (जल स्रोत) :

आवश्यक :

(i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से सिविल इंजीनियरिंग में डिग्री या समतुल्य।

(ii) जल स्रोत के क्षेत्र में उसके सभी विविध पहलुओं जैसे नदी घाटी परियोजनाओं, जल संसाधन विकास, कमांड क्षेत्र विकास, बाढ़ नियंत्रण, जल और जल अपशिष्ट का प्रबंध, जल निकास, जल प्रदाय, व्ययन, कम लागत की स्वच्छता, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन आदि में अनुसंधान/विकास योजना/मानीटर करना और मूल्यांकन/निष्पादन का 12 वर्ष का अनुभव।

वांछनीय :

(i) सिविल/जल वैज्ञानिक/जल संसाधन इंजीनियरिंग/जल विज्ञान/लोक स्वास्थ्य इंजीनियरिंग में मास्टर डिग्री।

(ii) आलोचनात्मक समीक्षा/रिपोर्ट आंकन/अनुसंधान रिपोर्ट आदि को तैयार करने आदि का अनुभव, प्रकाशनों द्वारा साक्ष्य दिया गया हो।"

(ii) क्रम संख्यांक 14 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :—

"14. संयुक्त सलाहकार (ग्रामोद्योग और लघु उद्योग) :

आवश्यक :

(i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से इंजीनियरिंग या प्रौद्योगिकी में डिग्री या समतुल्य या भौतिकी/रसायन/कारोबार प्रशासन में मास्टर डिग्री।

(ii) उद्योग/औद्योगिक विकास/लघु उद्योग/ग्रामोद्योग और लघु उद्योग के क्षेत्र में राष्ट्रीय स्तर की योजना/विकास/संप्रवर्तन/निष्पादन के क्षेत्र में 12 वर्ष का अनुभव।

वांछनीय :

(i) विज्ञान के सुसंगत क्षेत्र में डाक्टरेट की डिग्री या इंजीनियरिंग में मास्टर डिग्री।

(ii) विकास/ग्राम संप्रवर्तन और लघु उद्योग का अनुभव।

(iii) विकास/ग्राम संप्रवर्तन और लघु उद्योग के संबंध में सरकारी नीतियों/विनियमनों की जानकारी।

(iv) ग्रामोद्योग और लघु उद्योग के अन्य क्षेत्रों जैसे उद्योगों का खंड और औद्योगिक क्षेत्र आदि के साथ उसकी अंतरापृष्ठ समस्याओं का ज्ञान/जानकारी या उनके संबंध में कार्यवाही करने का अनुभव।

(v) ग्रामोद्योग और लघु उद्योग के क्षेत्र में मूल्यांकन/नीतियां बनाने/परियोजना/कार्यक्रम/स्कीम/दस्तावेज योजना का अनुभव।"

(iii) क्रम संख्यांक 16 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :—

"16. संयुक्त सलाहकार (पर्यावरण और वन) :

आवश्यक :

(i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से पर्यावरणीय विज्ञान/कार्बनिक रसायन/भौतिकी/जीवविज्ञान में मास्टर डिग्री या रसायनिक इंजीनियरिंग/सिविल इंजीनियरिंग/यांत्रिक इंजीनियरिंग/धातुकर्म इंजीनियरिंग में डिग्री या समतुल्य ।

(ii) पर्यावरण प्रबंधन, योजना प्रक्रिया, कार्यक्रमों की योजना बनाने और विशिष्ट नीतियों के अभिदर्शन या संबंधित अनुसंधान कार्य के क्षेत्र में 12 वर्ष का अनुभव।

वांछनीय :

किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से पर्यावरणीय विज्ञान, कार्बनिक रसायनिक, भौतिक, जीवविज्ञान में डाक्टरेट या पर्यावरणीय इंजीनियरिंग, रसायनिक इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, धातुकर्म इंजीनियरिंग, स्नातकोत्तर डिग्री या कारबार प्रशासन में मास्टर डिग्री या पर्यावरणीय, वन विज्ञान या वन जीव प्रबंधन में स्नातकोत्तर डिप्लोमा।"

[सं. ए-12018/1/2002-प्रशासन-1]

के. के. छाबड़ा, अवर सचिव

पाद टिप्पण : मूल नियम भारत के राजपत्र में सा. का. नि. सं. 199 तारीख 10-6-2000 में प्रकाशित योजना आयोग की अधिसूचना तारीख 11-5-2000 द्वारा अधिसूचित किए गए थे और तत्पश्चात् सा.का.नि. सं. 263 के अधीन भारत के राजपत्र में तारीख 26-5-2001 में प्रकाशित योजना आयोग की अधिसूचना तारीख 16-5-2001 द्वारा संशोधित किए गए थे।

PLANNING COMMISSION

New Delhi, the 8th July, 2003

G.S.R. 272.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the Planning Commission (Joint Adviser) Recruitment Rules, 2000, namely :—

1. (1) These rules may be called, the Planning Commission (Joint Adviser) Recruitment (Amendment) Rules, 2003.

(2) They shall come into fôrce on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Schedule to the Planning Commission (Joint Adviser) Recruitment Rules, 2000,—

(a) in column 1, for the entry, the following entry shall be substituted, namely :—

"Joint Adviser

1. Minerals—1
2. Education—1
3. Project Appraisal—1
4. Perspective Planning—1
5. Consumer Industries—1
6. Industrial Economics/Management—1
7. Power—1
8. Financial Resources—1
9. Agriculture—1
10. Scientific Research—1
11. Programme Evaluation Organisation—1
12. Coal—1
13. Petroleum—1
14. Industries and Infrastructure Planning—1
15. Labour and Employment—1
16. Agricultural Planning Studies—1
17. Water Resources—1
18. Village and Small Industries—1
19. Environment and Forest—1";

(b) in column 2, for the entry, the following entry shall be substituted, namely :—

"19* (2003)

*Subject to variation dependent on workload";

(c) in Column 5, for the heading, the following heading shall be substituted, namely :—

"Whether Selection or Non Selection post.";

(d) in the Annexure relating to Educational and other qualifications required for direct recruits,—

(i) for serial number 13 and the entries relating thereto, the following shall be substituted, namely :—

"13. JOINT ADVISER (WATER RESOURCES) :

Essential :

(i) Degree in Civil Engineering from a recognised University or equivalent.

(ii) Twelve years' experience in research/development/planning/monitoring and evaluation/execution in the field of water resources in all its diverse aspects like river valley projects, water resources development, command area development, flood control, management of water and waste water, drainage, water supply, sewerage/low cost sanitation, solid-waste management, etc.

Desirable :

(i) Master's Degree in Civil/Hydraulic/Water Resources Engineering/Hydrology/Public Health Engineering.

(ii) Experience of preparing critial reviews, appraisal reports, research reports, etc. as evidenced by publications.";

(ii) for serial number 14 and the entries relating thereto, the following shall be substituted, namely :—

"14. JOINT ADVISER (VILLAGE AND SMALL INDUSTRIES) :

Essential :

(i) Degree in Engineering or Technology from a recognised University or equivalent, or Master's Degree in Physics/Chemistry/Business Administration.

(ii) Twelve years' experience in planning at national level/development/promotion/execution in the area of industry/industrial development/small scale industries/village and small industries sectors.

Desirable :

(i) Dectorate Degree in the relevant areas of science or Master's Degree in Engineering.

(ii) Experience of developing/promotion of village and small industries.

(iii) Knowledge of government policies/regulations in regard to development/promotion of village and small industries.

(iv) Knowledge/awareness or experience in dealing with problems of village and small industries and its interface with other segments of industires/industrial sector, etc.

(v) Experience in evaluation/formulation of policies/projects/programmes/schemes/plan documents in the field of Village and Small Industries sector.";

(iii) for serial number 16 and the entries relating thereto, the following shall be substituted, namely :—

"16. JOINT ADVISER (ENVIRONMENT AND FOREST) :

Essential :

(i) Master's Degree in Environmental Science, Organic Chemistry, Physics, Bio-Science or a Degree in Chemical Engineering, Civil Engineering, Mechanical Engineering, Metallurgical Engineering from a recognised University or equivalent.

(ii) Twelve years' experience in planning process, formulation of plan programmes and policies with particular exposure in the field of environment management or such related research work.

Desirable :

Doctorate Degree in Environmental Science, Organic Chemistry, Physics, Bio-Science or a Post Graduate Degree in Environmental Engineering, Chemical Engineering, Civil Engineering, Metallurgical Engineering or Master's Degree in Business Administration or Post Graduate Diploma in Environment, Forestry or Wildlife Management from a recognised University or Institution."

[No. A-12018/1/2002-Adm.I]

K.K. CHHABRA, Under Secy.

Note : The Principal Rules were notified *vide* Planning Commission's notification dated 11-05-2000 published in the Gazette of India, dated 10-06-2000 under G.S.R. No. 199 and were later amended *vide* Planning Commission's notification dated 16-05-2001 published in the Gazette of India dated 26-05-2001 under G.S.R. No. 263.

नई दिल्ली, 9 जुलाई, 2003

सा. का. नि. 273.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत के राजपत्र, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में सा०का०नि० सं. 526 तारीख 26 जून, 1986 द्वारा प्रकाशित योजना आयोग (मुख्य पुस्तकालयाध्यक्ष-एवं-प्रलेखीकरण अधिकारी) भर्ती नियम, 1986 को उन बातों के सिवाय अधिक्रान्त करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, योजना आयोग में मुख्य पुस्तकालयाध्यक्ष-एवं-प्रलेखीकरण अधिकारी के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.**—(1) इन नियमों का संक्षिप्त योजना आयोग (मुख्य पुस्तकालयाध्यक्ष-एवं-प्रलेखीकरण अधिकारी) भर्ती नियम, 2003 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **पद संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान.**— उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और उसका वेतनमान वह होगा, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ 2 से स्तम्भ 4 में विनिर्दिष्ट है।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा और अन्य अर्हताएं आदि.**—उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे सम्बन्धित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तम्भ 5 से स्तम्भ 14 में विनिर्दिष्ट हैं।

4. **निरर्हता.**—वह व्यक्ति,—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह, ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है, और ऐसा करने के लिए अन्य आधार है तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. **शिथिल करने की शक्ति.**—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण है उन्हें लेखबद्ध करके तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों के बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी ।

6. **व्यावृत्ति.**—इन नियमों की कोई भी बात, ऐसे आरक्षण आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिसका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

1. पद का नाम	:	मुख्य पुस्तकालयाध्यक्ष-एवं-प्रलेखीकरण अधिकारी
2. पदों की संख्या	:	01* (2003) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।
3. वर्गीकरण	:	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'क' राजपत्रित अननुसचिवीय
4. वेतनमान	:	12000-375-16500 रु.
5. चयन-सह-ज्येष्ठता या योग्यता के आधार पर चयन अथवा अचयन	:	लागू नहीं होता
6. सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा	:	50 वर्ष से अनधिक केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 5 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है। **टिप्पणी :**—आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरूणाचल प्रदेश, मिजोरम,

मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा-जिले के पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है ।)

7. सेवा में जोड़े गए वर्षों का फायदा केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 30 के अधीन अनुज्ञेय है या नहीं : हां
केन्द्रीय सिविल सेवा के नियम 30 (पेंशन) नियम, 1972 के अनुसार

8. सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं : **आवश्यक :**

(i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से मास्टर डिग्री या समतुल्य।

(ii) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से पुस्तकालय विज्ञान में स्नातक डिग्री या समतुल्य।

(iii) किसी पुस्तकालय में बारह वर्ष का अनुभव जिसमें प्रलेखीकरण और संदर्भ सूची कार्य का अनुभव सम्मिलित है।

टिप्पण 1 : अर्हताएं अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती हैं।

टिप्पण 2 : अनुभव संबंधी अर्हता (अर्हताएं) में संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती जब चयन के किसी प्रक्रम पर संघ लोक सेवा आयोग की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है।

वांछनीय :

(i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से पुस्तकालय विज्ञान में स्नातकोत्तर डिग्री या समतुल्य।

(ii) पत्रिकाओं में प्रकाशित कार्य (साक्ष्य प्रस्तुत करना होगा)।

(iii) अंग्रेजी से भिन्न किसी एक यूरोपीय भाषा का कार्य साधक ज्ञान।

9. सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं। : लागू नहीं होता

10. परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो। : सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए एक वर्ष।

11. भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पदों की प्रतिशतता : प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा।

12. प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा : **प्रतिनियुक्ति :** (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) :
केन्द्रीय सरकार /राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन/मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थाओं/विश्वविद्यालयों/लोक उपक्रम के अधीन ऐसे अधिकारी :—

(क) (i) जो मूल काडर/विभाग में सदृश पद धारण किए हुए हैं; या

(ii) जिन्होंने मूल काडर/विभाग में रु. 10000-15200 रु. या समतुल्य वेतनमान में उस श्रेणी में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् पांच वर्ष नियमित सेवा की है; और

(ख) जिनके पास स्तंभ (8) के अधीन सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव हैं।

		प्रतिनियुक्ति/संविदा की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति/संविदा की अवधि है साधारणतया चार वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।
13. यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	:	**समूह 'क' विभागीय प्रोन्नति समिति (पुष्टि के लिए) :** 1. योजना आयोग में प्रधान सलाहकार या सलाहकार या प्रशासन के भारसाधक संयुक्त सचिव —अध्यक्ष 2. अध्यक्ष, पुस्तकालय समिति, योजना आयोग —सदस्य 3. निदेशक (प्रशासन), योजना आयोग —सदस्य
14. भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा	:	चयन के प्रत्येक अवसर पर संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है।

[सं. ए-12018/4/98-प्रशासन-I]

के. के. छाबड़ा, अवर सचिव

New Delhi, the 9th July, 2003

G.S.R. 273.— In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Planning Commission (Chief Librarian-Cum-Documentation Officer) Recruitment Rules, 1986 published vide G.S.R. 526 dated 26th June, 1986 in the Gazetted of India Part II Section 3, Sub-section (i), except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Chief Librarian-Cum-Documentation Officer in the Planning Commission, namely :—

1. Short title and commencement.— (1) These rules may be called the Planning Commission (Chief Librarian-Cum-Documentation Officer) Recruitment Rules, 2003.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of post classification and scale of pay.—The number of the said post, its classification and scale of pay attached thereto shall be as specified in columns 2 to 4 of the Schedule annexed hereto.

3. Method of recruitment, age limit, qualifications, etc.— The method of recruitment to the said post, age limit, qualifications and other matters connected therewith shall be as specified in columns 5 to 14 of the Schedule aforesaid.

4. Disqualification.— No person,—

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said posts :

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so, doing exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax.—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing, and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules in respect to any class or category of persons.

6. Saving.—Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for candidates belonging to the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Ex-Servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

1.	Name of post	: Chief Librarian-Cum-Documentation Officer
2.	Number of posts	: 01* (2003) *Subject to variation dependent on workload.
3.	Classification	: General Central Service, Group 'A', Gazetted, Non-Ministerial.
4.	Scale of pay	: Rs. 12,000-375-16,500
5.	Whether selection or non-selection post	: Not applicable
6.	Age limit for direct recruits	: Not exceeding 50 years, (Relaxable for Government servants upto 5 years in accordance with the orders or instructions issued by Central Government.) **Note** : The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipts of applications from candidates except for the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahual and Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep.)
7.	Whether benefit of added years of service admissible	: Yes As per Rule 30 of CCS (Pension) Rules, 1972
8.	Educational and other qualifications required for direct recruits	: **Essential :** (i) Master's Degree of a recognised University or equivalent. : (ii) Bachelor's Degree in Library Science of a recognised University or equivalent. (iii) Twelve years' experience in a library including experience of Documentation and Bibliographical work. **Note 1 :** Qualification(s) are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission in case of candidates otherwise well-qualified. **Note 2** : The Qualification(s) regarding experience is/are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes or Scheduled Tribes, if at any stage of selection, the Union Public Service Commission is of the opinion that sufficient number of candidates from these Communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the posts reserved for them. **Desirable :** (i) Post-Graduate Degree in Library Science from a recognised University or equivalent. (ii) Published work in the journals (evidence to be furnished). (iii) Working knowledge of any one modern European Language other than English.
9.	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	: Not applicable.
10.	Period of probation, if any	: One year for direct recruits
11.	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the posts to be filled by various methods	: Deputation (including short-term contract) failing which by direct recruitment.

12. In case of recruitment by promotion/ deputation/absorption, grades from which promotion/deputation/absorption to be made.	:	**Deputation (including short-term contract) :** Officers under the Central/State Govemments/Union Territory Administrations/Recognised Research Institutions/Universities/ Public Undertakings : (a) (i) Holding analogous posts on regular basis in the parent cadre/ Department; or (ii) with five years service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in the scale of pay of Rs. 10000-15200 or equivalent in the parent cadre/ department; and (b) Possessing the educational qualifications and experience prescribed for direct recruits under Column 8. (Period of deputation/contract including period of deputation/contract in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation/department of Central Government shall ordinarily not exceed four years.) The maximum age limit for appointment by deputation (including short term contract) shall not be exceeding 56 years as on the closing date of receipt of applications.,—
13. If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	:	**Group 'A' Departmental Promotion Committee (for confirmation) :—** 1. Principal Adviser or Adviser or Joint Secretary in charge of Administration in the Planning Commission —Chairman 2. Chairman, Library Committee, Planning Commission —Member 3. Director (Admn.), Planning Commission —Member
14. Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment.	:	Consultation with the Union Public Service Commission is necessary on each occasion of selection.

[No. A-12018/4/98-Adm. I]

K.K. CHHABRA, Under Secy.

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय

(विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग)

नई दिल्ली, 11 जुलाई, 2003

सा० का० नि० 274.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारतीय सर्वेक्षण विभाग में निदेशक (प्रशासन और वित्त) भर्ती नियम, 1977 को, उन बातों के सिवाय अधिक्रान्त करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के अधीन भारतीय सर्वेक्षण विभाग में निदेशक (प्रशासन और वित्त) के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.**—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम भारतीय सर्वेक्षण विभाग में निदेशक (प्रशासन और वित्त) भर्ती नियम, 2003 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **पद संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान.**— उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और उसका वेतनमान वह होगा, जो इन नियमों उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ 2 से स्तम्भ 4 में विनिर्दिष्ट है।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा और अन्य अर्हताएं आदि.**—उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे सम्बन्धित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तम्भ 5 से स्तम्भ 14 में विनिर्दिष्ट हैं।

4. **निरर्हता:**—वह व्यक्ति,—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह, ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है, और ऐसा करने के लिए अन्य आधार है तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. **शिथिल करने की शक्ति:**—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों के बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी ।

6. **व्यावृत्ति:**—इन नियमों की कोई भी बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिसका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

1. पद का नाम	:	निदेशक (प्रशासन और वित्त)
2. पदों की संख्या	:	01* (2003) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।
3. वर्गीकरण	:	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह ['क' राजपत्रित] अनुसचिवीय
4. वेतनमान	:	14,300-400-18,300/- रुपये
5. चयन अथवा अचयन पद	:	लागू नहीं होता
6. सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा	:	लागू नहीं होता
7. सेवा में जोड़े गए वर्षों का फायदा केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 30 के अधीन अनुज्ञेय है या नहीं	:	लागू नहीं होता
8. सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अहर्ताएं	:	लागू नहीं होता
9. सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अहर्ताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं।	:	लागू नहीं होता
10. परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो।	:	लागू नहीं होता
11. भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पदों की प्रतिशतता	:	प्रतिनियुक्ति द्वारा
12. प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/स्थानान्तरण/आमेलन किया जाएगा	:	**प्रतिनियुक्ति :**— भारतीय प्रशासनिक सेवा या केन्द्रीय सेवा समूह ''क'' के ऐसे अधिकारी :— (क) (i) जो मूल काडर/विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं ; या

(ii) जिन्होंने मूल काडर/विभाग 12000-16500 रु. या समतुल्य वेतनमान में उस श्रेणी में नियुक्ति के पश्चात् पांच वर्ष नियमित सेवा की है।

(प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया 5 वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।)

13. यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	:	लागू नहीं होता
14. भर्ती करते समय किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।	:	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है।

[फा. सं. एस एम/01/017/2002]

बी. के. रायचंदानी, अवर सचिव

MINISTRY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

(Department of Science and Technology)

New Delhi, the 11th July, 2003

G. S. R. 274.— In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of Survey of India, (Director, Administration and Finance) Recruitment Rules, 1977, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Director (Administration and Finance) in the Survey of India under the Department of Science and Technology, namely :—

1. Short title and commencement.— (1) These rules may be called the Survey of India, Director, (Administration and Finance) Recruitment Rules, 2003;

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of Posts, classification and scale of pay.—The number of the said post, its classification and the scale of pay attached thereto shall be as specified in columns 2 to 4 of the Scheduled annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age limit and other qualification.— The method of recruitment age limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns 5 to 14 of the said Schedule.

4. Disqualification.— No person,—

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post :

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax.—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving.—Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for Scheduled Castes, Scheduled Tribes and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

1.	Name of post	:	Director, (Administration and Finance)
2.	Number of post	:	01* (2003) *Subject to variation dependent on workload.
3.	Classification	:	General Central Service, Group 'A', Gazetted, Ministerial.
4.	Scale of pay	:	Rs. 14,300-400-18,300
5.	Whether selection post or non-selection post	:	Not applicable
6.	Age limit for direct recruits	:	Not applicable
7.	Whether benefit of added years of service admissible under rule 30 of the Central Civil Services (Pension) Rules, 1970	:	Not applicable
8.	Educational and other qualifications required for direct recruits	:	Not applicable
9.	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	:	Not applicable.
10.	Period of probation, if any	:	Not applicable
11.	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the posts to be filled by various methods	:	By Deputation
12.	In case of recruitment by promotion/ deputation/absorption, grades from which promotion/deputation/absorption to be made.	:	**Deputation :** Officers of the Indian Administrative Service or Central Services Group 'A': (a) (i) Holding analogous posts on regular basis in the parent cadre/ Department; or (ii) with five years service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in the scale of pay of Rs. 12000-16500 or equivalent in the parent cadre/ department. (The Period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation/department of the Central Government shall ordinarily not exceed five years.) The maximum age limit for appointment on deputation shall be 'not exceeding 56' only years as on the closing date of receipt of applications.
13.	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	:	Not applicable
14.	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment.	:	Consultation with Union Public Service Commission not necessary.

[F. No. SM/01/017/2002]

B.K. RAICHANDANI, Under Secy.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.